

अध्याय - II

राज्य के वित्त

अध्याय-II

राज्य के वित्त

2.1 राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तन

यह खंड वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तनों का एक समग्र दृश्य प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित संकेतकों के विश्लेषण की चर्चा आगामी प्रस्तारों में की गई है।

वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियां	<ul style="list-style-type: none">✓ राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 19.16 प्रतिशत की कमी✓ राज्य की स्वयं की कर प्राप्तियों में 2.38 प्रतिशत की कमी✓ गैर-कर प्राप्तियों में 85.50 प्रतिशत की कमी✓ केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य के अंश में 9.45 प्रतिशत की कमी✓ भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान में 31.11 प्रतिशत की वृद्धि
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none">✓ राजस्व व्यय में 0.10 प्रतिशत की कमी✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 1.17 प्रतिशत की वृद्धि✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 5.66 प्रतिशत की वृद्धि✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 11.56 प्रतिशत की कमी✓ सहायता अनुदान पर व्यय में 2.01 प्रतिशत की कमी
पूंजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none">✓ पूंजीगत व्यय में 12.94 प्रतिशत की कमी✓ सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 38.96 प्रतिशत की कमी✓ सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 17.80 प्रतिशत की वृद्धि✓ आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 18.43 प्रतिशत की कमी
ऋण और अग्रिम	<ul style="list-style-type: none">✓ ऋणों और अग्रिमों के संवितरण में 45.61 प्रतिशत की कमी✓ ऋण और अग्रिमों की वसूली में 79.88 प्रतिशत की कमी
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none">✓ लोक ऋण प्राप्तियों में 17.68 प्रतिशत की वृद्धि✓ लोक ऋण की अदायगी में 19.54 प्रतिशत की वृद्धि
लोक लेखा	<ul style="list-style-type: none">✓ लोक लेखा प्राप्तियों में 1.67 प्रतिशत की कमी✓ लोक लेखा से संवितरण में 18.13 प्रतिशत की कमी
रोकड़ अवशेष और निवेश	<ul style="list-style-type: none">✓ 31 मार्च 2020 की तुलना में 31 मार्च 2021 को नकद शेष और निवेश में ₹ 10,209.41 करोड़ (47.61 प्रतिशत) की वृद्धि।

2.2 निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

राज्य सरकार की प्राप्तियों को दो श्रेणियों यथा राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियों में विभाजित किया जा सकता है। इसके अलावा, लोक लेखा से संवितरण के बाद इसमें उपलब्ध निधियों से सरकार द्वारा इसे अपने घाटे के वित्तीयन के लिए भी उपयोग किया जाता है। इस प्रकार राज्य के निम्न संसाधन हैं:

- राजस्व प्राप्तियों** के अन्तर्गत स्वयं का कर राजस्व, करेतर राजस्व, केन्द्रीय करों तथा शुल्कों में राज्यांश तथा भारत सरकार (जीओआई) से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित हैं।
- पूंजीगत प्राप्तियों** के अन्तर्गत विविध पूंजी प्राप्तियां जैसे विनिवेश से प्राप्तियां, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण की प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिम सम्मिलित हैं।

राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां दोनों राज्य की संचित निधि के भाग होते हैं।

- निवल लोक लेखा प्राप्तियां:** इसके अन्तर्गत जमा, उचंत, प्रेषण, आदि जो संचित निधि के अंग नहीं हैं, के संबंध में प्राप्तियां और संवितरण हैं। ये संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अन्तर्गत स्थापित लोक लेखे में रखे जाते हैं एवं राज्य विधायिका के मत के अधीन नहीं होते हैं। इसके संबंध में सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरण के बाद अवशेष सरकार के पास उपयोग के लिए उपलब्ध निधि है।

2016-21 की अवधि के लिये राज्य सरकार के वित्त पर समयबद्ध आँकड़े **परिशिष्ट 2.1** में दिये गये हैं। **तालिका 2.1** वर्ष 2019-20 के सापेक्ष वर्ष 2020-21 में राज्य के वित्तीय संसाधनों के घटकों एवं उप-घटकों एवं निधियों के अनुप्रयोग को प्रदर्शित करती है।


तालिका 2.1: वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग की तुलना

विवरण		2019-20 (₹ करोड़ में)	2020-21 (₹ करोड़ में)	वृद्धि/कमी (प्रतिशतता में)
स्रोत	प्रारम्भिक रोकड़ अवशेष और निवेश	26,912	21,443	(-)20.32
	राजस्व प्राप्तियां	3,66,393	2,96,176	(-)19.16
	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	5,641	1,135	(-)79.88
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	51,408	60,082	16.87
	विविध पूंजी प्राप्तियां	0	0	-
	लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	(-) 68,590	4,850	107.07
	आकस्मिकता निधि	662	0	(-)100.00
	योग	3,82,426	3,83,686	0.33
अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	2,98,833	2,98,543	(-)0.10
	पूंजीगत व्यय	59,998	52,237	(-)12.94
	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	2,120	1,153	(-)45.61
	आकस्मिकता निधि	32	100	212.50
	अन्तिम रोकड़ अवशेष एवं निवेश	21,443	31,653	47.61
	योग	3,82,426	3,83,686	0.33

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

2.2.1 वर्ष 2020–21 दौरान राज्य की संचित निधि के अन्तर्गत निधियों के घटक-वार स्रोतों और अनुप्रयोगों को चार्ट 2.1 में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 2.1: वर्ष 2020–21 के दौरान संसाधनों का संघटन और अनुप्रयोग



स्रोत: वित्त लेखे 2020–21


2.3 राज्य के संसाधन

यह खण्ड वर्ष 2016–17 से 2020–21 के दौरान राज्य के संसाधनों एवं उनकी प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियाँ

वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य की प्राप्तियों का संघटन चार्ट 2.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.2: वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्तियों के संघटन का विवरण



स्रोत: वित्त लेखे 2020-21

वर्ष 2020-21 के दौरान में राज्य की कुल प्राप्तियां ₹ 3,89,020 करोड़ थी। इसमें ₹ 2,96,176 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां, ₹ 87,994 करोड़ की पूंजीगत प्राप्तियां, ₹ 4,850 करोड़ की निवल लोक लेखा प्राप्तियां¹⁵ सम्मिलित है। राजस्व प्राप्तियों में ₹ 1,19,897 करोड़ का स्वयं का कर राजस्व, ₹ 11,846 करोड़ का करेतर राजस्व, ₹ 1,06,687 करोड़ के केन्द्रीय करों एवं शुल्कों का अंश और ₹ 57,746 करोड़ का भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित है। पूंजीगत प्राप्तियों में ₹ 1,135 करोड़ की गैर ऋण प्राप्तियां एवं ₹ 86,859 करोड़ की लोक ऋण प्राप्तियां सम्मिलित है।

2.4 राजस्व प्राप्तियां


यह प्रस्तर कुल राजस्व प्राप्तियों और इसके घटकों में प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है। इसके बाद प्राप्तियों में प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाता है, जिन्हें राज्य की अपनी प्राप्तियों और केन्द्र सरकार से प्राप्तियों में विभाजित किया जाता है।

2.4.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति और वृद्धि

वित्त लेखे का विवरण 14 सरकार की राजस्व प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत करता है। वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान वित्त लेखे के अनुसार राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों और संघटन को चार्ट 2.3, चार्ट 2.4 और तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।


¹⁵ निवल लोक लेखे प्राप्तियां वित्तीय वर्ष के अंत में लघु बचत और भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा/अग्रिम, उचत एवं विविध और प्रेषणों का निवल अवशेष है।

चार्ट 2.3 वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.4 वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

तालिका 2.2 : राज्य के राजस्व प्राप्तियों, स्वयं के कर और गैर-कर राजस्व की प्रवृत्ति

मापदण्ड	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजस्व प्राप्तियां (आरआर) (₹ करोड़ में)	2,56,875	2,78,775	3,29,978	3,66,393	2,96,176
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.12	8.53	18.37	11.04	(-)19.16
स्वयं का राजस्व (₹ करोड़ में) जिसमें से	1,14,910	1,17,188	1,50,223	2,04,531	1,31,743
स्वयं का कर राजस्व (₹ करोड़ में)	85,966	97,393	1,20,122	1,22,826	1,19,897
करेतर राजस्व (₹ करोड़ में)	28,944	19,795	30,101	81,705	11,846
स्वयं के राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.23	1.98	28.19	36.15	(-)35.59
स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	5.99	13.29	23.34	2.25	(-)2.38
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में) (2011-12 श्रेणी वर्तमान मूल्य पर)	12,88,700	14,16,006	15,84,764	16,87,818	17,05,593
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.26	9.88	11.92	6.50	1.05
उछाल अनुपात ¹⁶					
जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व उछाल	0.99	0.86	1.54	1.70	(-)18.25
जीएसडीपी के सापेक्ष राज्य के स्वयं का राजस्व उछाल	0.77	0.20	2.36	5.56	(-)33.90
जीएसडीपी के सापेक्ष राज्य के स्वयं के कर राजस्व का उछाल	0.45	1.35	1.96	0.35	(-)2.27

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

तालिका 2.2 में वर्णित वित्त लेखाओं के आंकड़ों पर आधारित विश्लेषण से पता चलता है कि:

- वर्ष 2020-21 के दौरान सरकार की राजस्व प्राप्तियां ₹ 2,96,176 करोड़ थी। 2016-21 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 3.62 प्रतिशत थी। पिछले वर्ष (2019-20) की तुलना में वर्ष 2020-21 में इसमें 19.16 प्रतिशत की गिरावट आई है।

जैसा कि 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, उत्तर प्रदेश सरकार (वर्ष 2021 की प्रतिवेदन संख्या 4) में बताया गया है, वर्ष 2019-20 के दौरान, वास्तविक नकद प्राप्तियों के बिना लोक लेखे के निक्षेप निधि से ₹ 71,180 करोड़ के समेकित निधि के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों में अंतरण के कारण राजस्व प्राप्तियां (₹ 3,66,393 करोड़) काफी अधिक थीं। निक्षेप निधि के इस पुस्तकीय हस्तांतरण को छोड़कर, वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य की वास्तविक राजस्व प्राप्तियां ₹ 2,95,213 करोड़ थी, जिसमें वर्ष 2018-19 की तुलना में 10.54 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

इस प्रकार, वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियां (₹ 2,96,176 करोड़) वर्ष 2019-20 (निक्षेप निधि हस्तांतरण को छोड़कर) की तुलना में नाममात्र (0.33 प्रतिशत) से अधिक थीं। यह, आर्थिक परिदृश्य पर कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव के कारण वर्ष 2019-20 की तुलना में स्वयं के कर राजस्व (2.38 प्रतिशत) और केन्द्रीय कर हस्तांतरण (9.45 प्रतिशत) में गिरावट के बावजूद भारत सरकार से सहायता अनुदान की उच्च प्राप्तियों (31 प्रतिशत) के कारण था।

¹⁶ उछाल अनुपात आधार चर में दिए गए परिवर्तन के संबंध में एक राजकोषीय चर की प्रतिक्रिया के परिमाण को इंगित करता है। उदाहरण के लिये, जीएसडीपी के सम्बन्ध में राजस्व उछाल 1.85 का आशय यह है कि राजस्व प्राप्तियों में 1.85 प्रतिशत की वृद्धि की प्रवृत्ति है, यदि जीएसडीपी में एक प्रतिशत की वृद्धि होती है।

- वित्तीय वर्ष 2020–21 की शुरुआत कोविड-19 महामारी और सख्त लॉकडाउन प्रतिबंधों के साथ हुई। इसने वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। राज्य सरकार ने वर्ष 2020–21 के बजट अनुमानों में ₹ 4,22,568 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां अनुमानित की थी, जिसे वर्ष 2020–21 के संशोधित अनुमान में घटाकर ₹ 3,06,802 करोड़ कर दिया गया था। बजट अनुमान 2020–21 की तुलना में, वास्तविक प्राप्तियों में स्वयं के कर-राजस्व में 27.78 प्रतिशत, करेतर राजस्व में 62.01 प्रतिशत, केन्द्रीय कर अंतरण में 30.21 प्रतिशत और भारत सरकार से सहायता अनुदान में 20.35 प्रतिशत की कमी हुई थी। संशोधित अनुमान 2020–21 में स्वयं के कर-राजस्व में 3.98 प्रतिशत और भारत सरकार से सहायता अनुदान में 20.35 प्रतिशत की कमी के कारण राज्य संशोधित अनुमानों को भी पूरा नहीं कर सका।
- राजस्व उछाल, जीएसडीपी में प्रतिशत परिवर्तन के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में प्रतिशत परिवर्तन को मापता है। जैसा कि **तालिका 2.2** से देखा जा सकता है, राजस्व उछाल जो वर्ष 2019–20 के दौरान 1.70 था, वर्ष 2020–21 में घटकर (-)18.25 हो गया है, इससे पता चलता है कि वर्ष 2020–21 के दौरान जब जीएसडीपी में एक आधार अंक की वृद्धि हुई है, राज्य की राजस्व प्राप्तियों ने 18.25 आधार अंकों की नकारात्मक वृद्धि हुई है। इसके अलावा, वर्ष 2020–21 के दौरान स्वयं के कर राजस्व में उछाल (-)2.27 था, जिसका तात्पर्य यह है कि वर्ष 2020–21 के दौरान जब राज्य के जीएसडीपी में 1 आधार अंक की वृद्धि हुई है, तो स्वयं के राजस्व में 2.27 आधार अंकों की नकारात्मक वृद्धि हुई है।


2.4.2 राज्य के स्वयं के संसाधन

राज्य के स्वयं के संसाधनों में स्वयं का कर राजस्व और करेतर राजस्व सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश राज्य के स्वयं के कर राजस्व के घटक राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी), राज्य आबकारी, वाहनों पर कर, स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क, भू-राजस्व, विद्युत पर कर और शुल्क, सामानों एवं यात्रियों पर कर आदि हैं। करेतर राजस्व के स्रोतों में राजकोषीय सेवाओं से प्राप्तियां यथा सरकार द्वारा दिए गए बकाया ऋणों एवं अग्रिमों से ब्याज प्राप्तियाँ एवं रोकड़ अवशेष का निवेश, लाभांश और इक्विटी निवेश से लाभ, खनिज, वन और वन्य जीवन, के संरक्षक के रूप में उन रखी गई संपत्ति के उपयोग की अनुमति के लिए रॉयल्टी शुल्क या ऐसी अन्य सेवाओं और सरकार के तंत्र के माध्यम से प्रदान की जाने वाली विभिन्न सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के लिए उपयोग शुल्क सम्मिलित हैं। 2016–21 की अवधि के दौरान स्वयं के कर/करेतर राजस्व के संग्रहण का विवरण **परिशिष्ट 2.2** में दिया गया है।

2.4.2.1 स्वयं का कर राजस्व

वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य का स्वयं का कर राजस्व ₹ 1,19,897 करोड़ था। वर्ष 2016–21 की अवधि के दौरान, यह 2016–17 के ₹ 85,966 करोड़ से 39.47 प्रतिशत (₹ 33,931 करोड़) बढ़कर 2020–21 में ₹ 1,19,897 करोड़ हो गया। स्वयं का कर राजस्व की वृद्धि की प्रमुख प्रवृत्तियों को **चार्ट 2.5** में दिया गया है।

चार्ट 2.5: वर्ष 2016-21 के दौरान स्वयं का कर राजस्व



स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान राज्य के स्वयं का कर राजस्व के घटकों के अन्तर्गत प्राप्तियों का विवरण तालिका 2.3 में दिया गया है।

तालिका 2.3: वर्ष 2016-21 के दौरान कर राजस्व की प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र०सं०	राजस्व मद	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	स्पार्कलाइन
1	बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	51,883	31,113	23,798	20,517	22,127	
2	राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	-	25,374	46,108	47,232	42,860	
3	राज्य आबकारी	14,274	17,320	23,927	27,325	30,061	
4	वाहनों पर कर	5,148	6,404	6,929	7,715	6,483	
5	स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क	11,564	13,398	15,733	16,070	16,475	
6	भू-राजस्व	760	1,336	631	504	297	
7	विद्युत पर कर एवं शुल्क	1,556	2,124	2,978	3,453	1,587	
8	अन्य कर	781	324	18	10	7	
	योग	85,966	97,393	120,122	122,826	119,897	

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.3 से यह स्पष्ट है कि:

- पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान स्वयं के कर राजस्व में 2.38 प्रतिशत की समग्र नकारात्मक वृद्धि मुख्य रूप से राज्य वस्तु और सेवा कर (₹ 4,372 करोड़), विद्युत पर कर और शुल्क (₹ 1,866 करोड़), वाहनों पर कर (₹ 1,232 करोड़) और भूमि राजस्व (₹ 207 करोड़) आदि में कमी के कारण हुई थी। यद्यपि वर्ष 2019-20 की तुलना में बिक्री, व्यापार आदि पर करों में (₹ 1,610 करोड़), राज्य आबकारी (₹ 2,736 करोड़) और स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क (₹ 405 करोड़) में अधिक प्राप्तियों द्वारा यह कमी संतुलित हो गई थी।
- राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) राज्य के कर राजस्व का सबसे बड़ा घटक है, जिसमें वर्ष 2020-21 के लिए स्वयं का कर राजस्व प्राप्तियों का 35.75 प्रतिशत शामिल है। वर्ष 2020-21 के दौरान, अनुमानित एसजीएसटी ₹ 63,281 करोड़ था,

जिसके विरुद्ध वास्तविक संग्रह ₹ 42,860 करोड़ था जो अनुमान से 32.27 प्रतिशत कम था। एसजीएसटी के अन्तर्गत कम प्राप्तियां मुख्य रूप से लघु शीर्षो एसजीएसटी और आईजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट सकल उपयोग (₹ 4,879.95 करोड़) और अन्य लघु शीर्षो को हस्तांतरण की प्रतीक्षा में प्राप्तियां (₹ 4,504.63 करोड़) के तहत कम प्राप्ति के कारण थीं।

- विद्युत पर करों और शुल्कों के अंतर्गत कम प्राप्तियां, विद्युत की खपत और बिक्री पर कर (₹ 1,796.83 करोड़) और शुल्क (₹ 83.03 करोड़) से कम प्राप्तियों के कारण थीं।
- बिक्री, व्यापार आदि पर करों के अंतर्गत संग्रहण में वृद्धि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम (₹ 42.71 करोड़) और मूल्य वर्धित कर (₹ 1,303.56 करोड़) के अंतर्गत अधिक प्राप्ति के कारण हुई है। राज्य उत्पाद शुल्क में वृद्धि मुख्य रूप से देशी स्पिरिट (₹ 2,226.14 करोड़) और विदेशी मदिरा और स्पिरिट (₹ 978.64 करोड़) की बिक्री और अन्य प्राप्ति (₹ 188.50 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई थी। स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्धि मुख्य रूप से अदालती शुल्क में न्यायिक स्टाम्प्स (₹ 106.56 करोड़) और गैर-न्यायिक स्टाम्प्स (₹ 714.64 करोड़) की बिक्री में उच्च प्राप्तियों के कारण हुई है।
- अन्य करों में वस्तुओं और यात्रियों पर कर, होटल प्राप्तियों पर कर, मनोरंजन कर, सट्टेबाजी पर कर, सिनेमाघरों में प्रदर्शित विज्ञापनों पर कर आदि सम्मिलित हैं। इसमें कमी मुख्य रूप से जुलाई 2017 से इन करों का वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) में सम्मिलन के कारण हुई।

2.4.2.2 राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)

राज्य सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम क्रियान्वित किया, जो 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ। जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार, वस्तु एवं सेवाकर के क्रियान्वयन के कारण राज्यों को राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति पाँच वर्षों की अवधि के लिए करेगी। जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत जीएसटी में सम्मिलित करों के राजस्व आंकड़ों हेतु एक आधार वर्ष (2015–16) माना गया। राज्य में किसी वर्ष के लिये अनुमानित राजस्व की गणना उस राज्य के आधार वर्ष के राजस्व पर अनुमानित वृद्धि दर (14 प्रतिशत प्रति वर्ष) को लागू करके की जानी थी।

वित्त लेखे में वर्ष 2020–21 के लिये जीएसटी के अन्तर्गत राजस्व आंकड़ों को प्राप्ति की प्रकृति यथा राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी), एसजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रास यूटिलाइजेशन एवं एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी), आईजीएसटी का विभाजन-एसजीएसटी के कर घटक का अंतरण एवं आईजीएसटी का अग्रिम विभाजन के अनुसार दर्शाया गया है। उत्तर प्रदेश के मामले में, आधार वर्ष (2015–16) के दौरान सम्मिलित करों से राजस्व ₹ 33,359 करोड़ था। अतः आधार वर्ष के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020–21 हेतु अनुमानित राजस्व ₹ 64,230 करोड़ था, जिसके सापेक्ष एसजीएसटी के रूप में ₹ 42,860 करोड़ संग्रहीत किया गया। इसमें आईजीएसटी के अग्रिम बंटवारे में राज्य के हिस्से के रूप में ₹ 3,168 करोड़ शामिल हैं। राज्य को, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर के तहत राज्य को आवंटित शुद्ध आय के अपने हिस्से के रूप में, ₹ 31,611 करोड़ प्राप्त हुए। जीएसटी के तहत कुल प्राप्तियां ₹ 74,471 करोड़ थीं। राज्य सरकार ने जीएसटी के कार्यान्वयन से होने वाले राजस्व हानि के लिए भारत सरकार से ₹ 9,324 करोड़ की क्षतिपूर्ति भी प्राप्त किया। इसके अलावा, जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में अपर्याप्त शेष के कारण, राज्य सरकार को जीएसटी क्षतिपूर्ति के एवज में भारत सरकार से ₹ 6,007 करोड़ का बैंक-टू-बैंक ऋण (ऋण प्राप्तियां) भी प्राप्त हुआ।

2.4.2.3 करेतर राजस्व

वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान करेतर राजस्व के प्रमुख स्रोत और उनकी प्रवृत्ति का विश्लेषण तालिका 2.4 में दिया गया है:

तालिका 2.4: वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान करेतर राजस्व की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	स्पार्कलाइन
(i) ब्याज प्राप्तियाँ	1,165	1,093	1,712	1,469	1,116	
(ii) लामांश एवं लाम	86	31	175	39	105	
(iii) अन्य करेतर प्राप्तियाँ:						
(क) विभिन्न सामान्य सेवायें	4,460	4,841	13,678	72,044	572	
(ख) अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	1,548	3,259	3,165	2,181	3,113	
(ग) ऊर्जा	2,939	4,696	5,735	1,044	1,309	
(घ) सिंचाई (वृहद, मध्यम एवं लघु)	783	953	908	1,024	1,174	
(ङ) सड़क एवं पुल	929	366	932	707	997	
(च) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	14,092	432	381	480	505	
(छ) अन्य एवं विविध	2,942	4,124	3,415	2,717	2,955	
योग	27,693	18,671	28,214	80,197	10,625	
महायोग [(i), (ii) एवं (iii)]	28,944	19,795	30,101	81,705	11,846	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2020-21 में करेतर राजस्व के अन्तर्गत कुल प्राप्तियाँ ₹ 11,846 करोड़ थीं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 85.50 प्रतिशत की कमी को दर्शाती हैं। वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान करेतर राजस्व में उल्लेखनीय कमी इस कारण से थी कि वर्ष 2019-20 में, ₹ 71,180.23 करोड़ की राशि को आरक्षित निक्षेप निधि से बिना किसी नकद प्राप्ति के करेतर राजस्व में स्थानांतरित किया गया था। इस हस्तांतरण को छोड़कर, वर्ष 2019-20 के दौरान करेतर राजस्व ₹ 10,525 करोड़ था। इसकी तुलना में, वर्ष 2020-21 के दौरान करेतर राजस्व ₹ 11,846 करोड़ था, जो 12.55 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान, करेतर राजस्व में वृद्धि मुख्य रूप से अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग में ₹ 932 करोड़ (42.73 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण हुई थी, सड़कों और पुलों से ₹ 290 करोड़ (41.02 प्रतिशत), विद्युत से ₹ 265 करोड़ (25.38 प्रतिशत) और सिंचाई से ₹ 150 करोड़ (14.65 प्रतिशत) में वृद्धि के कारण हुई थी।

2.4.3 केन्द्र सरकार से अन्तरण

भारत सरकार से अन्तरण के दो मुख्य घटक केन्द्रीय कर हस्तांतरण, अर्थात् केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा तथा सहायता अनुदान हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान, भारत सरकार (कर अन्तरण और सहायता अनुदान) से हस्तांतरण राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 55.52 प्रतिशत था, जो वर्ष 2019-20 की तुलना में 1.59 प्रतिशत (₹ 2,571 करोड़) अधिक था।

2.4.3.1 केन्द्रीय कर अन्तरण

केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य सरकार के अंश के घटक निगम कर, निगम कर से भिन्न आय पर कर, सेवा कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर और एकीकृत वस्तु और सेवा कर आदि हैं। चौदहवें वित्त आयोग (2015-20) ने राज्यों के साथ साझा करने के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की शुद्ध आय के विभाज्य पूल के 42 प्रतिशत कर हस्तांतरण की अनुशंसा की थी, जिसमें से उत्तर प्रदेश राज्य को 17.959 प्रतिशत हिस्सा दिया गया था। पंद्रहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय

करों (विभाज्य पूल) की शुद्ध आय का 41 प्रतिशत का कुल हिस्सा राज्यों को हस्तांतरित करने की अनुशंसा की थी, जिसमें से 17.931 प्रतिशत हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश के लिए अनुशंसित थी। 2016–21 के पांच वर्ष की अवधि के दौरान केन्द्रीय करों और शुल्कों में उत्तर प्रदेश के हिस्से के तहत प्राप्तियों की प्रवृत्ति तालिका 2.5 में दी गई है।

तालिका 2.5: वर्ष 2016–21 की अवधि के दौरान केन्द्रीय कर अंतरण

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी)	-	1,718	33,757	33,434	31,611
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी)	-	12,212	2,694	0	0
निगम कर	35,099	37,043	47,563	40,171	32,258
निगम कर से भिन्न आय पर कर	24,394	31,280	35,028	31,477	33,080
सीमा शुल्क	15,098	12,208	9,695	7,468	5,606
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	17,241	12,761	6,442	5,192	3,577
सेवा कर	17,515	13,719	1,252	0	475
अन्य कर ¹⁷	81	(-)2*	335	76	80
केन्द्रीय कर अन्तरण	1,09,428	1,20,939	1,36,766	1,17,818	1,06,687
विगत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि की प्रतिशतता	20.28	10.52	13.09	(-)13.85	(-)9.45
राजस्व प्राप्तियों में केन्द्रीय कर के अन्तरण की प्रतिशतता	42.60	43.38	41.45	32.16	36.02

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

*वर्ष 2017–18 के दौरान 'अन्य कर' शीर्ष के अन्तर्गत ऋणात्मक ऑकड़ा रिफंड के कारण था।

तालिका 2.5 दर्शाती है कि वर्ष 2020–21 के दौरान, केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य के अंश के अन्तर्गत प्राप्तियों में वर्ष 2019–20 की तुलना में ₹ 11,131 करोड़ (9.45 प्रतिशत) की कमी आई है। केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य का अंश राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों का 36.02 प्रतिशत था।

2.4.3.2 भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

राज्य सरकार को भारत सरकार (जीओआई) से उप मुख्य शीर्षों जैसे केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए अनुदान, वित्त आयोग अनुदान और भारत सरकार से अन्य अन्तरण के अन्तर्गत सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। वर्ष 2016–21 की अवधि के दौरान, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की स्थिति तालिका 2.6 में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.6: वर्ष 2016–21 की अवधि के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
आयोजनेतर अनुदान ¹⁸	9,335	-	-	-	-
राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान ¹⁸	232	-	-	-	-
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान ¹⁸	56	-	-	-	-

¹⁷ इसमें सम्पत्ति पर कर, आय एवं व्यय पर अन्य कर तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क सम्मिलित है।

¹⁸ 2017–18 और उसके आगे के वर्षों के दौरान इस शीर्ष में कोई आकड़े नहीं हैं क्योंकि वर्ष 2017–18 से आयोजनागत एवं आयोजनेतर अनुदान के नामकरण को सीएसएस हेतु अनुदान, वित्त आयोग अनुदान एवं राज्यों के अन्य अन्तरणों/अनुदानों से प्रतिस्थापित किया गया था।

लेखाशीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं हेतु अनुदान ¹⁸	22,914	-	-	-	-
केन्द्रीय पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान (सीएसएस)	-	27,731	31,250	25,824	32,342
वित्त आयोग अनुदान	-	8,849	9,318	12,965	16,023
राज्य/विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्र के लिए अन्य अन्तरण/अनुदान	-	4,068	2,421	5,255	9,381
योग	32,537	40,648	42,989	44,044	57,746
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	2.12	24.93	5.76	2.45	31.11
राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष सहायता अनुदान की प्रतिशतता	12.67	14.58	13.03	12.02	19.50

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.6 से यह स्पष्ट है कि भारत सरकार से अनुदान के विभिन्न घटकों के अन्तर्गत 2016-21 की अवधि के दौरान समग्र वृद्धि 2016-17 में ₹ 32,537 करोड़ से 77.48 प्रतिशत बढ़कर 2020-21 में ₹ 57,746 करोड़ हो गई। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 में, पिछले वर्ष की तुलना में सहायता अनुदान में 31.11 प्रतिशत (₹ 13,702 करोड़) की वृद्धि हुई थी। राज्य सरकार को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत ₹ 32,342 करोड़ प्राप्त हुए जो वर्ष 2019-20 की तुलना में 25.24 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 2019-20 की तुलना में वित्त आयोग अनुदानों और अन्य अन्तरणों में क्रमशः ₹ 3,058 करोड़ (23.59 प्रतिशत) और ₹ 4,126 करोड़ (78.52 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

2.4.3.3 चौदहवां/पन्द्रहवाँ वित्त आयोग अनुदान

चौदहवें एवं पन्द्रहवें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों तथा राज्य आपदा अनुक्रिया निधि के लिए राज्य को अनुदान की अनुशंसा की थी। वर्ष 2016-21 के दौरान स्वीकृत तथा प्राप्त धनराशि का विवरण तालिका 2.7 में दिया गया है।

तालिका 2.7: वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान भारत सरकार से प्राप्त अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त आयोग की अनुशंसायें			भारत सरकार से प्राप्त अनुदान			राज्य सरकार द्वारा अन्तरित अनुदान		
	चौदहवाँ वित्त आयोग	पन्द्रहवाँ वित्त आयोग	योग	2016-17 से 2019-20	2020-21	योग	2016-17 से 2019-20	2020-21	योग
	2016-17 से 2019-20	2020-21							
स्थानीय निकाय (आधारभूत एवं निष्पादन अनुदान):									
(i) पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान	31,913.97	9,752.00	41,665.97	37,075.01	9,752.00	51,165.01	35,662.66	9,752.00	49,752.66
(ii) नगरीय स्थानीय निकायों को अनुदान	9,265.62	4,695.00	13,960.62		4,338.00			4,338.00	
स्थानीय निकायों के लिये योग	41,179.59	14,447.00	55,626.59	37,075.01	14,090.00	51,165.01	35,662.66	14,090.00	49,752.66
राज्य आपदा अनुक्रिया निधि	3,054.00	2,578.00	5,632 ¹⁹	2,290.51	1,933.00	4,223.51	2,290.51	966.50	3,257.01
कुल योग	44,233.59	17,025.00	61,258.59	39,365.52	16,023.00	55,388.52	37,953.17	15,056.50	53,009.67

स्रोत: XIVवें एवं XVवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन एवं सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

¹⁹ सकल अनुदान में राज्य अंशदान का 25 प्रतिशत सम्मिलित करते हुए।

वर्ष 2016–21 की अवधि के दौरान, स्थानीय निकायों के लिए सहायता अनुदान के तहत चौदहवें/पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित कुल ₹ 55,626.59 करोड़ के अनुदान की तुलना में, राज्य सरकार को भारत सरकार से ₹ 51,165.01 करोड़ प्राप्त हुए। इसमें से राज्य सरकार ने वर्ष 2016–21 की अवधि के दौरान शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों को ₹ 49,752.66 करोड़ अवमुक्त किए। इस प्रकार, राज्य सरकार ने वर्ष 2016–17 और 2017–18 में ₹ 1,412.35 करोड़ कम अवमुक्त किया। वर्ष 2018–19 से 2020–21 के दौरान में राज्य सरकार ने भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की सम्पूर्ण धनराशि शहरी/ग्रामीण स्थानीय निकायों को अवमुक्त किया।

अग्रेतर, वर्ष 2016–17 से वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य सरकार, केन्द्र और राज्य के मध्य 75:25 अनुपात की साझेदारी पैटर्न के अन्तर्गत आपदा अनुक्रिया निधि के लिए ₹ 4,223.50 करोड़ सहायता अनुदान की पात्र थी। वर्ष 2016–21 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार को एसडीआरएफ के लिए केन्द्रीय अंश के रूप में ₹ 4,223.51 करोड़ प्राप्त हुए, जिनमें से राज्य सरकार ने एसडीआरएफ को ₹ 3,257.01 करोड़ हस्तांतरित किए। इस प्रकार, वर्ष 2020–21 में ₹ 966.50 करोड़ का कम हस्तांतरण हुआ। इसके अलावा, राज्य सरकार ने भी वर्ष 2016–21 की अवधि के दौरान अपने राज्य अंश का ₹ 1,072.34 करोड़ निधि में जमा किया।

2.5 पूंजीगत प्राप्तियाँ

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां यथा विनिवेश से प्राप्तियां, ऋणों और अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों से उधार आदि) से ऋण प्राप्तियां और भारत सरकार से ऋण और अग्रिम सम्मिलित हैं। पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि और संघटन में प्रवृत्तियां तालिका 2.8 में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.8: वर्ष 2016–21 की अवधि में पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि और संघटन में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
पूंजीगत प्राप्तियाँ	67,944	47,653	56,908	79,450	87,994
(i) विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0
(ii) ऋण एवं अग्रिम की वसूली (गैर ऋण प्राप्तियाँ)	259	236	5,313	5,641	1,135
(iii) लोक ऋण प्राप्तियाँ, जिसमें से	67,685	47,417	51,595	73,809	86,859
आंतरिक ऋण	66,654	46,314	50,791	72,554	78,677
आंतरिक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-)9.83	(-)30.52	9.67	42.85	8.44
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,031	1,103	804	1,255	8,182
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	73.57	6.98	(-)27.11	56.09	551.95*
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	(-)9.16	(-)29.94	8.81	43.05	17.68
गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	(-)64.33	(-)8.88	2,151.27	6.17	(-)79.88
जीएसडीपी की वृद्धि दर	13.26	9.88	11.92	6.50	1.05
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-)9.70	(-)29.86	19.42	39.61	10.75

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेख

* भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों की वृद्धि में राज्य के पुनर्भुगतान के दायित्व से रहित जीएसटी न्यूनता क्षतिपूर्ति के बदले बैंक-टू-बैंक ऋण ₹ 6,007 करोड़ सम्मिलित है।

जैसा कि तालिका 2.8 से स्पष्ट है कि वर्ष 2020–21 में राज्य की पूंजीगत प्राप्तियों में ₹ 8,544 करोड़ की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2019–20 की तुलना में 10.75 प्रतिशत की वृद्धि दर को दर्शाती है।

वर्ष 2020–21 के दौरान, आंतरिक ऋण के अन्तर्गत प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 8.44 प्रतिशत (₹ 6,123 करोड़) की वृद्धि हुई थी। वर्ष 2016–21 की अवधि के दौरान

आंतरिक ऋण प्राप्तियों की प्रवृत्ति में उतार-चढ़ाव आया और वर्ष 2020-21 में यह उच्चतम ₹ 78,677 करोड़ और वर्ष 2017-18 में निम्नतम ₹ 46,314 करोड़ था। वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों में भी उतार-चढ़ाव हुआ, वर्ष 2020-21 के दौरान यह उच्चतम ₹ 8,182 करोड़ था जोकि जीएसटी न्यूनता की क्षतिपूर्ति के बदले ₹ 6,007 करोड़ के बैक-टू-बैक ऋण के कारण था जिसमें राज्य की कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं है क्योंकि इसे जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष में उपकर के संग्रह से चुकाया जाना है।

वर्ष 2017-20 की अवधि के ऋणों और अग्रिमों की वसूली में वृद्धि की प्रवृत्ति और 2020-21 में अधोमुखी प्रवृत्ति दिखायी दी। वर्ष 2020-21 के दौरान, इसमें विगत वर्ष (₹ 5,641 करोड़) की तुलना में 79.88 प्रतिशत (₹ 1,135 करोड़) की कमी आई। यद्यपि, वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान ऋण और अग्रिमों की उच्च वसूली मुख्य रूप से उदय योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष में ₹ 4,891.72 करोड़ की राशि के ऋण के पीएसयू को सहायता अनुदान में रूपांतरण के कारण हुई थी।

2.6 संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन केन्द्रीय करों में राज्यांश और भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान को सम्मिलित किये बगैर स्वयं के कर राजस्व और करेतर राजस्व के संदर्भ में किया जाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य के स्वयं के कर राजस्व की प्राप्ति मध्यावधि राजकोषीय पुनर्गठन नीति (एमटीएफआरपी) 2020 और पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए अनुमान से 27.78 और 21.09 प्रतिशत कम थी, जैसा कि तालिका 2.9 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.9: वर्ष 2020-21 के दौरान अनुमान के सापेक्ष कर एवं करेतर प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	पंद्रहवें वित्त आयोग का अनुमान	बजट अनुमान/ एमटीएफआरपी	वास्तविक	इनके सापेक्ष वास्तविक का प्रतिशत विचलन	
				वित्त आयोग का अनुमान	बजट अनुमान/ एमटीएफआरपी
स्वयं के कर राजस्व	1,51,941	1,66,021	1,19,897	(-)21.09	(-)27.78
करेतर राजस्व	19,851	31,179	11,846	(-)40.33	(-)62.01

स्रोत: पंद्रहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन एवं वर्ष 2020-21 के लिये राज्य सरकार का बजट दस्तावेज एवं वित्त लेख 2020-21

वर्ष 2020-21 में राज्य का स्वयं का कर राजस्व पंद्रहवें वित्त आयोग और बजट अनुमान/एमटीएफआरपी 2020 में किए गए अनुमान की तुलना में काफी कम था। यह मुख्य रूप से एमटीएफआरपी 2020 के अनुमानों की तुलना में एसजीएसटी (₹ 20,421 करोड़), राज्य आबकारी (₹ 7,439 करोड़), स्टॉप और पंजीकरण शुल्क (₹ 6,722 करोड़) और बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 6,160 करोड़) के कम संग्रह के कारण था। बजट अनुमानों/एमटीएफआरपी 2020 के अनुमानों की तुलना में करेतर राजस्व में कम प्राप्तियां देखी गईं, जो मुख्य रूप से विविध सामान्य सेवाओं (₹ 12,013 करोड़), ऊर्जा (₹ 2,228 करोड़), ब्याज प्राप्तियों (₹ 984 करोड़), प्रमुख सिंचाई (₹ 592 करोड़) आदि के अन्तर्गत थी। एमटीएफआरपी 2021 में, राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान स्वयं के कर राजस्व की कम प्राप्ति के लिए कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन से प्रभावित राजस्व को जिम्मेदार ठहराया है।

2.7 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार में राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के संरचना के अन्तर्गत व्यय करने का उत्तरदायित्व निहित है साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की चल रही राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया पूँजीगत अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र के

विकास हेतु किये गये व्यय की लागत पर नहीं हों। उप प्रस्तरों सहित यह प्रस्तर राज्य में व्यय के आवंटन का विश्लेषण करता है।

2.7.1 व्यय की वृद्धि और संघटन

राजस्व शीर्ष, पूंजीगत परिव्यय और ऋण एवं अग्रिमों से संबंधित व्यय राज्य सरकार के कुल व्यय को संस्थापित करता है। वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान, राज्य का कुल व्यय 2016-17 में ₹ 3,13,122 करोड़ से 12.39 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹ 3,51,933 करोड़ हो गया। यह वृद्धि मुख्य रूप से राजस्व व्यय (₹ 61,951 करोड़) में वृद्धि के कारण थी, जो कि पूंजीगत परिव्यय (₹ 17,552 करोड़) और ऋण और अग्रिमों के संवितरण (₹ 5,588 करोड़) के अन्तर्गत कम व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गया। वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान, राजस्व व्यय कुल व्यय का औसतन 82.31 प्रतिशत था और ऋण और अग्रिमों के संवितरण सहित पूंजीगत व्यय 17.69 प्रतिशत था। वर्ष 2020-21 के दौरान, राजस्व व्यय कुल व्यय का 84.83 प्रतिशत और ऋण एवं अग्रिम सहित पूंजीगत व्यय 15.17 प्रतिशत था। इस प्रकार, राजस्व व्यय का कुल व्यय में प्रमुख अंश था।

वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान कुल व्यय एवं राजस्व, पूंजीगत और ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत इसकी संरचना को तालिका 2.10 में संक्षेपित किया गया है और चार्ट 2.6 में भी दर्शाया गया है।

तालिका 2.10: वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान कुल व्यय एवं इसकी संरचना


(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कुल व्यय (टीई)	3,13,122	3,06,821	3,70,494	3,60,951	3,51,933
राजस्व व्यय (आरई)	2,36,592	2,66,224	3,01,728	2,98,833	2,98,543
पूंजीगत व्यय (सीई) ²⁰	69,789	39,088	62,463	59,998	52,237
पूंजीगत व्यय (उदय को छोड़कर)	66,089	39,088	62,463	59,998	52,237
ऋण एवं अग्रिम	6,741	1,509	6,303	2,120	1,153
जीएसडीपी की प्रतिशतता के रूप में					
कुल व्यय/जीएसडीपी	24.30	21.67	23.38	21.39	20.63
राजस्व व्यय/जीएसडीपी	18.36	18.80	19.04	17.71	17.50
पूंजीगत व्यय/जीएसडीपी	5.42	2.76	3.94	3.55	3.06
ऋण तथा अग्रिम/जीएसडीपी	0.52	0.11	0.40	0.13	0.07

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

²⁰ वर्ष 2016-17 के दौरान पूंजीगत व्यय में उदय योजना के अन्तर्गत पूंजीगत व्यय ₹ 3,700 करोड़ सम्मिलित था। वर्ष 2017-18 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने लघु/सीमान्त कृषकों के लिए कृषि ऋण माफी योजना हेतु ₹ 36,000 करोड़ का पर्याप्त बजट प्रावधान किया था। परिणामस्वरूप वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान पूंजीगत व्यय कम हो गये थे।


चार्ट 2.6: वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान घटकवार व्यय की प्रवृत्तियाँ



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

संचित निधि के अन्तर्गत व्यय विशिष्ट कार्यों या सेवाओं के अनुरूप क्षेत्रों जैसे 'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं', 'सहायता अनुदान और अंशदान', 'लोक ऋण', 'ऋण एवं अग्रिम' में वर्गीकृत किये जाते हैं। सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं, ऋण एवं अग्रिम तथा सहायता अनुदान के अन्तर्गत श्रेणीवार व्यय की प्रवृत्ति को चार्ट 2.7 में प्रस्तुत किया गया है।


चार्ट 2.7: वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान में क्षेत्रवार व्यय की प्रतिशतता



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य की संचित निधि के अन्तर्गत घटकवार व्यय को चार्ट 2.8 में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 2.8: वर्ष 2020–21 के दौरान घटकवार व्यय




स्रोत: वर्ष 2020–21 के वित्त लेखे

चार्ट 2.8 दर्शाता है कि वर्ष 2020–21 के दौरान, सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत राजस्व व्यय कुल व्यय का उच्चतम 31.44 प्रतिशत था जिसमें राज्य के अंगों, राजकोषीय सेवाओं, ब्याज भुगतान, प्रशासनिक सेवाओं और पेंशन पर व्यय सम्मिलित है। सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय कुल व्यय का 28.97 प्रतिशत था जिसमें शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, समाज कल्याण एवं पोषण, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, शहरी विकास आदि पर व्यय शामिल है। आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 14.67 प्रतिशत था जिसमें कृषि एवं संबद्ध सेवाओं, ग्रामीण विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा, उद्योग एवं खनिज, परिवहन आदि पर व्यय सम्मिलित है। पूंजीगत व्यय (ऋण सर्विसिंग को छोड़कर) कुल व्यय का 13.79 प्रतिशत था।

वर्ष 2020–21 के दौरान सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं का घटकवार राजस्व व्यय चार्ट 2.9 में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 2.9: वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण



स्रोत: वर्ष 2020-21 के वित्त लेखे

2.7.2 राजस्व व्यय

सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्व के भुगतान के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य की अवसंरचना और सेवा तंत्र में कोई वृद्धि नहीं होती है। राजस्व व्यय में मजदूरी और वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन, पूंजीगत कार्यों के संचालन और रखरखाव पर व्यय, सब्सिडी, स्थानीय निकायों, सहकारी समितियों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और अन्य को अन्तरण सम्मिलित हैं। राजस्व व्यय के मूल मापदण्ड तालिका 2.11 में दिए गए हैं।

तालिका 2.11: वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय के मूल मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कुल व्यय (टीई)	3,13,122	3,06,821	3,70,494	3,60,951	3,51,933
राजस्व व्यय (आरई)	2,36,592	2,66,224	3,01,728	2,98,833	2,98,543
आरई की वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.21	12.52	13.34	(-)0.96	(-)0.10
टीई के सापेक्ष राजस्व व्यय का प्रतिशत	75.56	86.77	81.44	82.79	84.83
आरई/जीएसडीपी (प्रतिशत)	18.36	18.80	19.04	17.71	17.50
राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष राजस्व व्यय का प्रतिशत	92.10	95.50	91.44	81.56	100.80
निम्न के सापेक्ष राजस्व व्यय का उछाल					
जीएसडीपी (अनुपात)	0.85	1.27	1.12	(-)0.15	(-)0.10
राजस्व प्राप्ति (अनुपात)	0.85	1.47	0.73	(-)0.09	0.01

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

राजस्व व्यय कुल व्यय का प्रमुख घटक बना रहा और इसका अंश वर्ष 2016-17 में 75.56 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 84.83 प्रतिशत हो गया। राजस्व व्यय की वृद्धि दर में वर्ष 2020-21 में (-)0.10 प्रतिशत से वर्ष 2018-19 में 13.34 प्रतिशत के उच्च स्तर के बीच व्यापक रूप से उतार-चढ़ाव बना रहा। वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय में कमी मुख्य रूप से सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों (₹ 1,384.09 करोड़), सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत सामान्य शिक्षा


(₹ 862.62 करोड़), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण (₹ 1,353.83 करोड़), आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत ऊर्जा (₹ 8,499.84 करोड़) और अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (₹ 1,842.92 करोड़) के अन्तर्गत कम व्यय के कारण थी, इस कमी को मुख्य रूप से सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत ब्याज भुगतान (₹ 2,615.46 करोड़), सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत शहरी विकास (₹ 6,116.56 करोड़) और आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत सड़क और सेतुओं (₹ 4,343.85 करोड़) के अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया था।

जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय में 2016–21 की अवधि के दौरान उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दिखायी। यह वर्ष 2018–19 में उच्चतम (19.04 प्रतिशत) और वर्ष 2020–21 में निम्नतम (17.50 प्रतिशत) था। जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व व्यय उछाल, जीएसडीपी में प्रतिशत परिवर्तन के सापेक्ष राजस्व व्यय में प्रतिशत परिवर्तन को मापता है। जैसा कि तालिका 2.11 से स्पष्ट है कि राजस्व व्यय में उछाल वर्ष 2019–20 और 2020–21 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में संकुचन के कारण नकारात्मक था।

2.7.3 प्रतिबद्ध और गैर-प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के व्यय को प्रतिबद्ध और गैर-प्रतिबद्ध व्यय में वर्गीकृत किया जा सकता है। राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्य रूप से वेतन और मजदूरी, पेंशन भुगतान और ब्याज भुगतान पर व्यय सम्मिलित है जिस पर वर्तमान कार्यपालिका का सीमित नियंत्रण है। प्रतिबद्ध व्यय से इतर अन्य व्यय को गैर-प्रतिबद्ध व्यय में वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्ष 2016–21 की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध और गैर-प्रतिबद्ध व्यय के अंश की प्रवृत्ति को चार्ट 2.10 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.10: राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध एवं गैर प्रतिबद्ध व्यय का अंश



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

2.7.4 प्रतिबद्ध व्यय

वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान घटकवार प्रतिबद्ध व्यय तालिका 2.12 में दिया गया है।

तालिका 2.12 : वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान घटकवार प्रतिबद्ध व्यय

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
वेतन	85,416	85,076	91,413	1,00,188	97,576
(i) वेतन	37,547	43,490	50,471	53,508	50,333
(ii) मजदूरी	824	921	1,062	1,357	2,363
(iii) सहायक अनुदान (वेतन)	47,045	40,665	39,880	45,323	44,880
पेंशन	28,227	38,476	44,024	49,603	48,219
ब्याज भुगतान	26,936	29,136	32,042	34,813	37,428
योग	1,40,579	1,52,688	1,67,479	1,84,604	1,83,223
राजस्व प्राप्ति (आरआर) के प्रतिशत के रूप में					
वेतन	33.25	30.52	27.70	27.34	32.95
पेंशन	10.99	13.80	13.34	13.54	16.28
ब्याज भुगतान	10.49	10.45	9.71	9.50	12.64
योग	54.73	54.77	50.75	50.38	61.87
राजस्व व्यय (आरई) के प्रतिशत के रूप में					
वेतन	36.10	31.96	30.30	33.53	32.68
पेंशन	11.93	14.45	14.59	16.60	16.15
ब्याज भुगतान	11.39	10.94	10.62	11.65	12.54
योग	59.42	57.35	55.51	61.78	61.37

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

प्रतिबद्ध व्यय, व्यय की प्राथमिकता तय करने और सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूंजी निवेश को पूरा करने में राज्य को प्रभावित करता है। राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के सापेक्ष प्रतिबद्ध व्यय का उच्च अनुपात यह इंगित करता है कि राज्य के पास नई योजनाओं के लिए अपने संसाधनों के आवंटन में सीमित लचीलापन है। तालिका 2.12 प्रदर्शित करती है कि वर्ष 2016-20 की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति पायी गयी, लेकिन वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में इसमें 0.75 प्रतिशत (₹ 1,381 करोड़) की कमी आयी। प्रतिबद्ध व्यय के घटक-वार विवरण पर नीचे चर्चा की गई है।

2.7.4.1 वेतन पर व्यय

राज्य सरकार में 31 मार्च 2020 को 12,76,375 स्वीकृत पद थे। वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन पर व्यय ₹ 50,333 करोड़ था। यह राजस्व प्राप्तियों (₹ 2,96,176 करोड़) का 16.99 प्रतिशत और राजस्व व्यय (₹ 2,98,543 करोड़) का 16.86 प्रतिशत था। तथापि, मानक मद 'सहायक अनुदान-सामान्य (वेतन)', 'संशोधित वेतन का बकाया (राज्य सहायता)²¹' और 'मजदूरी' क्रमशः ₹ 44,844 करोड़, ₹ 36 करोड़ और ₹ 2,363 करोड़ के व्यय को शामिल करते

²¹ प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं सहायता प्राप्त संस्थाओं, स्वायत्त निकायों, इत्यादि के कर्मचारियों से सम्बन्धित।

हुए वेतन मद पर कुल व्यय ₹ 97,576 करोड़ था जो राजस्व प्राप्तियों का 32.95 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 32.68 प्रतिशत दर्शाता है।

पिछले वर्ष 2019–20 की तुलना में वेतन पर कुल व्यय में 2.61 प्रतिशत (₹ 2,612 करोड़) की कमी आयी, जो कि मुख्य रूप से बकाया वेतन के कम संवितरण (₹ 5,647 करोड़) के कारण थी, जिसको वेतन, महंगाई भत्ता, गैर वृत्तिशील भत्ता आदि के अधिक संवितरण द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया।

2.7.4.2 ब्याज भुगतान

राज्य सरकार द्वारा आंतरिक ऋण, लघु बचत, भविष्य निधि, केंद्र सरकार के ऋण और अग्रिमों आदि पर ब्याज भुगतान का लेखा-जोखा मुख्य शीर्ष 2049-ब्याज भुगतान के अन्तर्गत किया जाता है। वर्ष 2016–21 की अवधि के दौरान, ब्याज के भुगतान पर व्यय 8.57 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के साथ ₹ 26,936 करोड़ से बढ़कर ₹ 37,428 करोड़ हो गया। वर्ष 2019–20 की तुलना में, वर्ष 2020–21 में ब्याज भुगतान में 7.51 प्रतिशत की वृद्धि मुख्य रूप से बाजार ऋण (₹ 3,625 करोड़) पर ब्याज भुगतान में वृद्धि के कारण हुई।

अग्रेतर, राज्य सरकार ने परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (डीसीपीएस) के अंतर्गत, लेखाशीर्ष 2071-01-117-09-विलम्ब से जमा ग्राहक अंशदान पर ब्याज का भुगतान के अंतर्गत ₹ 11.35 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया। इसके अलावा, लेखाशीर्षक 2071-01-117-08 दिनांक 31.03.2019 तक देय अवशेष नियोक्ता योगदान/देर से जमा नियोक्ता योगदान पर ब्याज के अंतर्गत ₹ 150.81 करोड़ का व्यय किया गया था। संघ और राज्यों के मुख्य और लघु लेखा शीर्ष की सूची (एलएमएमएच) के अनुसार, डीसीपीएस पर ब्याज 2049-03-117 शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाना आवश्यक है। मुख्य शीर्ष 2071 के तहत डीसीपीएस पर बजट और ब्याज का भुगतान एलएमएमएच का उल्लंघन था, इसके अलावा इसने मुख्य शीर्ष 2049 के तहत ब्याज व्यय को कम करके बताया।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने वर्ष 2020–21 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लिये गये गैर बजट ऋणों के भुगतान पर ब्याज भुगतान के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ₹ 536.27 करोड़ की वित्तीय सहायता (सहायता अनुदान) प्रदान की थी, जैसा कि प्रस्तर 4.2 में चर्चा की गई है।

2.7.4.3 पेंशन भुगतान

राज्य में दिनांक 31 मार्च 2021 को 11.32 लाख पेंशनभोगी थे। 2016–21 की अवधि के दौरान पेंशन भुगतान पर वार्षिक व्यय ₹ 28,227 करोड़ से ₹ 49,603 करोड़ के मध्य विस्तारित था। वर्ष 2020–21 में, पेंशन पर व्यय धनराशि ₹ 48,219 करोड़ थी, जो कि विगत वर्ष (₹ 49,603 करोड़) के सापेक्ष 2.79 प्रतिशत कम थी। यह कमी मुख्य रूप से शीर्ष 'राज्य सहायतित शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों के पेंशन' (₹ 1,021.06 करोड़), 'अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते' (₹ 533.55 करोड़), 'पेंशन का संराशीकरण मूल्य' (₹ 323.65 करोड़), 'पारिवारिक पेंशन' (₹ 242.67 करोड़), 'ग्रेच्युटी' (₹ 222.97 करोड़) व्यय में थीं यद्यपि 'परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना' में सरकार के योगदान (₹ 1,653.32 करोड़) के अन्तर्गत विगत वर्ष 2019–20 की तुलना में अधिक भुगतान हुआ था। वर्ष 2020–21 में पेंशन पर व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों का 16.28 प्रतिशत तथा कुल राजस्व व्यय का 16.15 प्रतिशत था।

2.7.4.4 सब्सिडी

राज्य सरकार कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभागों, उद्योग विभाग, ऊर्जा विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान प्रदान करती है, जिसका विवरण वित्त लेखे के परिशिष्ट II में दिया गया है। 2016-21 की अवधि के दौरान प्रदान की गई सब्सिडी का विवरण तालिका 2.13 में दिया गया है।

तालिका 2.13: वर्ष 2016-21 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
सब्सिडी (₹ करोड़ में)	8,045	9,284	14,053	14,092	11,677
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	3.13	3.33	4.26	3.85	3.94
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	3.40	3.49	4.66	4.72	3.91

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखें

सब्सिडी पर व्यय वर्ष 2016-17 में ₹ 8,045 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹ 11,677 करोड़ हो गया। वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 11,677 करोड़ की सब्सिडी राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय का क्रमशः 3.94 प्रतिशत और 3.91 प्रतिशत थी। इसमें केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत ₹ 2,032.05 करोड़ की केन्द्रीय सहायता भी सम्मिलित है। विगत वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान सब्सिडी में कुल कमी (₹ 2415.41 करोड़) मुख्य रूप से 'उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड को विद्युत कर पर भुगतान की गयी धनराशि के सापेक्ष राजस्व प्रतिपूरक अनुदान (₹ 1,880 करोड़)', 'उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन को सहायक अनुदान (₹ 1,010 करोड़)', 'आधारभूत संरचना के क्रियान्वयन एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 (₹ 323.45 करोड़)' के कारण था जिसको 'राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (₹ 197.01 करोड़)', 'स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (₹ 142.35 करोड़)', प्राथमिक सहकारी कृषि ऋण समिति के माध्यम से कम ब्याज दर पर कृषि ऋण प्रदान करने के लिये अनुदान (₹ 133.97 करोड़) के अन्तर्गत बढ़ी हुई सब्सिडी से प्रतिसंतुलित किया गया था।

वर्ष 2020-21 के दौरान सब्सिडी के मुख्य अंश वाले विभाग तालिका 2.14 में दिये गये।

तालिका 2.14: 2020-21 के दौरान सब्सिडी का मुख्य अंश वाले विभाग

अनुदान संख्या	प्राप्तकर्ता विभाग का नाम	सब्सिडी की धनराशि (₹ करोड़ में)	कुल सब्सिडी का प्रतिशत	मुख्य उद्देश्य
09	उर्जा	6,057.35	51.87	यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को क्षतिपूरक अनुदान (₹ 4,817.35 करोड़), यूपीपीसीएल को विद्युत कर के लिए भुगतान की गई धनराशि के सापेक्ष राजस्व क्षतिपूरक अनुदान (₹ 1,240 करोड़)
83	समाज कल्याण	966.71	8.28	अनुसूचित जाति (₹ 717.13 करोड़) और अनुसूचित जनजाति (₹ 249.58 करोड़) के लिए विशेष घटक योजना
11	कृषि	2,365.97	20.26	कृषि उत्पादन में सुधार (₹ 1,200 करोड़) और राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (₹ 610 करोड़) के लिये किसानों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड को अनुदान।

स्रोत : वित्त लेखे 2020-21

2.7.4.5 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता, सहायता अनुदान और ऋण के रूप में प्रदान की जाती है। 2016–21 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की गई सहायता की मात्रा तालिका 2.15 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 2.15: वर्ष 2016–21 के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
(क) पंचायती राज संस्थाएँ (ज़िला परिषद एवं ग्राम पंचायतें)	7,572.31	10,096.44	16,209.80	12,517.71	10,412.00
(ख) शहरी स्थानीय निकाय (नगर निगम एवं नगरपालिकाएँ)	1,002.05	1,208.46	3,081.35	9,059.97	15,115.15
योग (क+ख)	8,574.36	11,304.90	19,291.15	21,577.68	25,527.15
(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सरकारी कंपनियाँ और सांविधिक निगम)	8,440.26	133.41	7,053.03	8,940.17	7,018.39
(घ) स्वायत्त निकाय (विश्वविद्यालय, विकास प्राधिकरण, सहकारी संस्थाएँ एवं अन्य)	2,295.33	5,405.83	6,436.96	37,393.78	35,251.87
(च) गैर-सरकारी संगठन	30,260.69	26,038.26	181.61	7,140.75	7,040.51
(छ) विविध	32,806.92	49,338.56	58,801.38	18,282.08	24,050.46
योग (ग+घ+च+छ)	73,803.20	80,916.06	72,472.98	71,756.78	73,361.23
महायोग (क+ख+ग+घ+च+छ)	82,377.56	92,220.96	91,764.13	93,334.46	98,888.38
राजस्व व्यय	2,36,592	2,66,224	3,01,728	2,98,833	2,98,543
<i>राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता</i>	<i>34.82</i>	<i>34.64</i>	<i>30.41</i>	<i>31.23</i>	<i>33.12</i>

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य अनुदानग्राही संस्थाओं को सहायता अनुदान के रूप में ₹ 98,888.38 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, जो वर्ष 2019–20 की तुलना में 5.95 प्रतिशत (₹ 5,553.92 करोड़) अधिक थी। वर्ष 2016–17 के सापेक्ष वर्ष 2020–21 के दौरान इसमें ₹ 16,510.82 करोड़ (20.04 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। तथापि, राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वर्ष 2016–17 में 34.82 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2020–21 में 33.12 प्रतिशत हो गयी।


पंचायती राज संस्थाओं को सहायता वर्ष 2016–17 में ₹ 7,572.31 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2020–21 में ₹ 10,412.00 करोड़ हो गयी। यद्यपि, वर्ष 2019–20 की तुलना में वर्ष 2020–21 के दौरान इसमें 16.82 प्रतिशत (₹ 2,105.71 करोड़) की कमी आयी। वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को जारी सहायता अनुदान मुख्य रूप से ग्रामीण स्थानीय निकायों (₹ 9,752 करोड़) के लिये पंद्रहवें वित्त आयोग से अनुदान के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान एवं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता (₹ 660 करोड़) का हस्तांतरण था। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को जारी सहायता अनुदान मुख्य रूप से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत कम अनुदान के कारण वर्ष 2019–20 की तुलना में वर्ष 2020–21 में ₹ 2,072.44 करोड़ कम हो गया।

शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता 2016-17 में ₹ 1,002.05 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 15,115.15 करोड़ हो गई। वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान इसमें ₹ 6,055.18 करोड़ (66.83 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना (सामान्य एवं अनुसूचित जाति उप योजना) के अन्तर्गत ₹ 6,075.12 करोड़ एवं स्मार्ट सिटी मिशन प्रोग्राम के अन्तर्गत ₹ 1380.63 करोड़ सहायता अनुदान होने के कारण थी। शहरी स्थानीय निकायों को दी जाने वाली सहायता में पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए ₹ 10,840.64 करोड़ सम्मिलित थे।

2.7.5 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) मुख्य रूप से सड़कों, भवनों, आदि जैसे अचल अवसंरचना सम्पत्तियों के सृजन पर होने वाला व्यय है। राज्य सरकार के लिए अपने निवेश पर पर्याप्त प्रतिफल अर्जित करने, उधार ली गई निधि की लागत वसूल करने और वित्तीय संक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के उपाय हेतु पहल की आवश्यकता है। वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय और कुल व्यय से इसके प्रतिशत को चार्ट 2.11 में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 2.11: 2016-21 की अवधि के दौरान राज्य में पूंजीगत व्यय



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.11 से स्पष्ट है कि 2016-21 की अवधि के दौरान कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय 12.74 प्रतिशत और 22.29 प्रतिशत के बीच विस्तारित रहा। कुछ मुख्य शीर्ष, जहां वर्ष 2020-21 के दौरान पूंजीगत व्यय बहुत अधिक था, तालिका 2.16 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 2.16: वर्ष 2020-21 के दौरान मुख्य शीर्षवार पूंजीगत व्यय

क्र० सं०	प्रमुख शीर्ष और उसका नामकरण	प्रमुख गतिविधि/योजना	धनराशि (₹ करोड़ में)
1	5054-सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	गंगा एक्सप्रेसवे (₹ 1,635 करोड़), राज्य सड़क निधि में अंतरण (₹ 1,500 करोड़), पूर्वांचल एक्सप्रेसवे (₹ 1,319 करोड़), ग्रामीण सड़को का निर्माण (₹ 1,244 करोड़) एवं रेलवे उपरिगामी सेतु (₹ 880 करोड़)	18,021
2	4801-ऊर्जा परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	उत्तर प्रदेश विद्युत पारेषण निगम को विद्युत पारेषण हेतु (₹ 1,423 करोड़), एवं वितरण गतिविधियों हेतु (₹ 4,932 करोड़) अंशपूंजी, एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में निवेश (₹ 1,345 करोड़)	10,570

क्र० सं०	प्रमुख शीर्ष और उसका नामकरण	प्रमुख गतिविधि/योजना	धनराशि (₹ करोड़ में)
3	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (₹ 4,958 करोड़)	5,164
4	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	ग्रामीण आवास-विशेष घटक योजना अनुसूचित जाति (₹ 2,247 करोड़) एवं पीएम आवास योजना-ग्रामीण (₹ 1,597 करोड़)	4,360
5	4700-वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	सरयू नहर परियोजना (₹ 1,114 करोड़) एवं मध्य गंगा नहर परियोजना (₹ 767 करोड़)	3,142
6	4215-जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (₹ 1,956 करोड़)	2,473
7	4210- चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान (₹ 1,399 करोड़)	1,813

स्रोत: वित्त लेख 2020-21

वर्ष 2020-21 के दौरान पूंजीगत व्यय वर्ष 2019-20 में ₹ 59,998 करोड़ के पूंजीगत व्यय के सापेक्ष ₹ 52,237 करोड़ था। वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान पूंजीगत व्यय में ₹ 7,761 करोड़ (12.94 प्रतिशत) की कमी मुख्य रूप से सामान्य सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत ₹ 972.20 करोड़ (38.96 प्रतिशत) एवं आर्थिक सेवा क्षेत्र में ₹ 8,660.32 करोड़ (18.43 प्रतिशत) के कारण थी जो सामाजिक सेवा क्षेत्र में ₹ 1,871.59 करोड़ (17.80 प्रतिशत) पूंजीगत व्यय की वृद्धि से प्रतिसंतुलित थी।

2.7.5.1 पूंजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 के लिए विभिन्न मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत पूंजीगत व्यय में मुख्य परिवर्तनों का विवरण तालिका 2.17 में दिया गया है।

तालिका 2.17 : विभिन्न मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान पूंजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन
(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2019-20	2020-21	वृद्धि (+)/ कमी (-)
5054-सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	21,376.18	18,020.63	(-)15.70
5053- नागरिक उड्डयन पर पूंजीगत परिव्यय	1,328.79	528.26	(-)60.25
4408-खाद्य भण्डारण एवं भण्डारगृह पर पूंजीगत परिव्यय	3,890.04	(-)2,539.95	(-)165.29
4801-ऊर्जा परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8,248.83	10,570.01	28.14
4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय	2,111.56	4,359.78	106.47
4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	3,706.35	5,163.71	39.32

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेख

मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत वृद्धि/कमी का प्रमुख कारण नीचे दिया गया है:

मुख्य शीर्ष 5054 (सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय): वर्ष 2020-21 के दौरान सड़क कार्यों के व्यय में कमी आयी, जैसे आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना (₹ 100 करोड़ से), राज्य राजमार्ग (₹ 594.92 करोड़ से), पूर्वांचल एक्सप्रेसवे (₹ 1,480.02 करोड़ से) एवं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे (₹ 1,235 करोड़ से)। यद्यपि, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना-प्रयागराज से मेरठ (₹ 1,628.33 करोड़ से) एवं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ औद्योगिक कॉरीडोर के विकास पर (₹ 200 करोड़ से) व्यय में वृद्धि हुई थी।

मुख्य शीर्ष 5053 (नागरिक उड्डयन पर पूंजीगत परिव्यय): व्यय में कमी मुख्यतः शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 1,200.02 करोड़ को वापस किये जाने के कारण थी। जबकि,

गौतमबुद्धनगर के जेवर में अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डा (₹ 273.35 करोड़) एवं अयोध्या में हवाई अड्डा (₹ 149.94 करोड़) की स्थापना पर अधिक व्यय किया गया था।

मुख्य शीर्ष 4408 (खाद्य भण्डारण एवं भण्डारगृह पर पूंजीगत परिव्यय): कमी मुख्य रूप से शीर्ष 4408-01-101-03-खाद्यान्न आपूर्ति परियोजना में ₹ 5,486.43 करोड़ के व्यय के विरुद्ध ₹ 8,106.21 करोड़ की वसूली के कारण हुई, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 3,889.48 करोड़ के निवल व्यय के सापेक्ष वर्ष 2020-21 के दौरान (-) ₹ 2,619.78 करोड़ का निवल व्यय हुआ।

मुख्य शीर्ष 4801 (ऊर्जा परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय): वृद्धि मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश (₹ 3,816.29 करोड़ से), जैसे एकीकृत ऊर्जा विकास योजना के अन्तर्गत कार्य हेतु अंश पूंजी (₹ 143.68 करोड़ से), यूपीपीसीएल को विभिन्न कार्यों के लिये अंश पूंजी अर्थात् वितरण नेटवर्क का पारेषण सुदृढीकरण आदि (₹ 3,672.61 करोड़ से)। तथापि, विगत वर्ष की तुलना में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में कम निवेश (₹ 1,550.05 करोड़) हुआ।

मुख्य शीर्ष 4216 (आवास पर पूंजीगत परिव्यय): वृद्धि मुख्य रूप से केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण आवास सेक्टर पर व्यय (₹ 2,380.43 करोड़ से) तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (₹ 51.14 करोड़ से) में वृद्धि के कारण थी। तथापि, सीएम आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत ₹ 120.57 करोड़ कम व्यय किया गया था।

मुख्य शीर्ष 4515 (अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय): वृद्धि मुख्य रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत किये गये व्यय में ₹ 2,697.55 करोड़ की वृद्धि के कारण थी।

2.7.5.2 पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता

यह खण्ड राज्य सरकार द्वारा किए गये पूंजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

पीएसयू में निवेश की गुणवत्ता

सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उपक्रम जो घाटे में चल रहे हैं या जहां निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया है, पूंजीगत व्यय, किया गया निवेश और दिया गया ऋण धारणीय नहीं है और पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित किया है। पीएसयू में निवेश की गई अंश पूंजी पर प्रतिफल पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। पीएसयू में निवेश की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दे यथा निवेश पर प्रतिफल, निवल मूल्य का क्षरण, लाभांश भुगतान, नियोजित पूंजी पर प्रतिफल आदि पर प्रतिवेदन के अध्याय V में विभिन्न प्रस्तारों के अन्तर्गत विस्तार से चर्चा की गई है।

अपूर्ण परियोजनाओं पर निधियों का अवरोधन

वित्त लेखे का परिशिष्ट नौ अपूर्ण कार्यों की समग्र स्थिति को दर्शाता है। परिशिष्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण एवं सिंचाई विभाग में अपूर्ण कार्यों की सूची सम्मिलित है, यद्यपि सूची में राज्य सरकार के अन्य विभागों के सभी अपूर्ण कार्यों को सम्मिलित नहीं किया गया है। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर निधियों का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और राज्य को लम्बे समय के लिये अभिप्रेत लाभों से वंचित रखता है। अग्रेतर, संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उधार ली गई धनराशि ऋण और ब्याज देनदारियों के भुगतान के रूप में अतिरिक्त दायित्व की ओर ले जाती है। परिशिष्ट IX के अनुसार, 31 मार्च 2021 तक विभागवार अपूर्ण कार्यों और उसमें अवरुद्ध पूंजी की स्थिति तालिका 2.18 में दी गई है।

तालिका 2.18 : 31 मार्च 2021 तक विभागवार अपूर्ण परियोजनाएं

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय
लोक निर्माण	572	5,789.98
सिंचाई	15	3,415.27
योग	587	9,205.25

स्रोत: वित्त लेखे 2020-21

तालिका 2.18 से यह देखा जा सकता है कि राज्य सरकार के दो प्रमुख विभागों (लोक निर्माण और सिंचाई विभाग) में, 587 परियोजनाएं (लोक निर्माण में 572 परियोजनाएं और सिंचाई विभाग में 15 परियोजनाएं) अपूर्ण थीं। इस प्रकार, 31 मार्च 2021 तक इन 587 परियोजनाओं पर व्यय धनराशि ₹ 9,205.25 करोड़ का राज्य के लोगों को सुविधाओं और राज्य के आर्थिक विकास में सहायता के रूप में भी कोई प्रतिफल नहीं प्राप्त हुआ।

2.7.5.3 उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) का क्रियान्वयन

ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) जो गंभीर वित्तीय दबाव से जूझ रही थी, के वित्तीय सुधार के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) प्रारम्भ किया (नवम्बर 2015)।

राज्य डिस्कॉम के परिचालन और वित्तीय दक्षता में सुधार के उद्देश्य से, एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) ऊर्जा मंत्रालय (भारत सरकार), उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के डिस्कॉम के लिए और उनकी ओर से यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मध्य निष्पादित किया गया था। यह योजना राज्य सरकारों द्वारा 30 सितंबर 2015 को डिस्कॉम के बकाया ऋण का 75 प्रतिशत (वर्ष 2015-16 में 50 प्रतिशत और वर्ष 2016-17 में 25 प्रतिशत) दो वर्ष की अवधि में अधिग्रहण करने का प्रावधान करती है। तदनुसार, डिस्कॉम्स का ₹ 44,403 करोड़²² का बकाया ऋण का राज्य सरकार द्वारा इक्विटी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में अधिग्रहण किया गया। राज्य सरकार द्वारा लिए गए ऋण वितरण कंपनियों को अनुदान, ऋण और इक्विटी के मिश्रण के रूप में स्थानांतरित कर दिये गये, जैसा कि तालिका 2.19 में वर्णित हैं।

तालिका 2.19: 31 मार्च 2021 को उदय के अन्तर्गत इक्विटी/ऋण/सब्सिडी की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	इक्विटी निवेश	ऋण	अनुदान	योग
2015-16	11,353 ²³	6,083	12,166	29,602
2016-17	3,700	3,700	7,401	14,801
योग	15,053	9,783	19,567	44,403

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

अग्रेतर, एमओयू के अनुसार राज्य सरकार डिस्कॉम की भविष्य की हानियों, यदि कोई हों, को एक चरणबद्ध ढंग से निम्नानुसार अधिग्रहण करेगी:

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण की जाने वाली हानियाँ	वर्ष 2016-17 की हानि का 5%	वर्ष 2017-18 की हानि का 10%	वर्ष 2018-19 की हानि का 25%	विगत वर्ष की हानि का 50%

²² डिस्कॉम का 30 सितम्बर 2015 को प्रभावी बकाया ऋण ₹ 59,205 करोड़ था, जिसमें 30 सितम्बर 2015 को बकाया ऋण ₹ 53,935 करोड़ तथा वित्तीय पुनर्गठन योजना 2012 के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 (30 सितम्बर 2015 के पूर्व) के दौरान निर्गत ₹ 5,270 करोड़ के बांड सम्मिलित थे।

²³ 2015-16 (30 सितम्बर 2015 के पूर्व) के दौरान राज्य सरकार द्वारा वित्तीय पुनर्गठन योजना 2012 के अन्तर्गत निर्गत ₹ 5,270 करोड़।

एमओयू के अनुसार राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान उदय योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कंपनियों में ₹ 2,200 करोड़ की हानियों का अधिग्रहण किया।

2.7.5.4 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के अन्तर्गत राज्य की संसाधन उपलब्धता

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) सरकार या सांविधिक इकाई और निजी क्षेत्र की इकाई के मध्य अवसंरचना के विकास के लिए जनता की बढ़ती मांग की पूर्ति हेतु उनके साथ मिलकर कार्य करने में सक्षम बनाने वाले ढांचे को प्रदान करने हेतु एक व्यवस्था है।

दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड (पिकप), एक शासकीय वित्तीय संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना (अक्टूबर 2021) के अनुसार पीपीपी मोड के अन्तर्गत परियोजनाओं का क्षेत्र/विभागवार विवरण **परिशिष्ट 2.3** में दिया गया है और **तालिका 2.20** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 2.20 : 2020-21 तक के पीपीपी परियोजनाओं का क्षेत्रवार/विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	क्षेत्र/विभाग	पूर्ण/चालू	
		संख्या	अनुमानित लागत
1.	ऊर्जा	18	68,910.03
2.	नागरिक उड्डयन	1	29,561.00
3.	औद्योगिक विकास	1	13,782.00
4.	परिवहन	2	3,869.00
5.	चिकित्सा और स्वास्थ्य	10	2,541.28
6.	लोक निर्माण	3	2,319.84
7.	सूचना प्रौद्योगिकी	1	1,500.00
8.	नगरीय विकास	22	367.55
9.	आवास और नगरीय नियोजन	1	360.00
10.	पर्यटन	2	123.36
	योग	61	1,23,334.06

स्रोत: पिकप द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

2.7.6 व्यय प्राथमिकताएं

निम्न राजकोषीय प्राथमिकता (एक श्रेणी के अन्तर्गत व्यय का कुल व्यय से अनुपात) एक क्षेत्र विशेष से जुड़ी बतायी जाती है, यदि आवंटन सम्बन्धित राष्ट्रीय औसत से कम है। इन घटकों का कुल व्यय से अनुपात जितना अधिक होता है, व्यय की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी मानी जाती है। राज्य की व्यय प्राथमिकता को **तालिका 2.21** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.21: स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पूंजीगत व्यय के सम्बन्ध में राज्य की व्यय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

विवरण	स्वास्थ्य/एई	शिक्षा/एई	सीई/एई
सामान्य श्रेणी के राज्यों का अखिल भारतीय औसत ²⁴ (2016-17)	5.49	14.93	19.77
उत्तर प्रदेश	5.15	17.39	22.78
सामान्य श्रेणी के राज्यों का अखिल भारतीय औसत (2020-21)	6.74	15.00	13.03
उत्तर प्रदेश	6.14	15.53	14.89

(एई-कुल व्यय, सीई-पूंजीगत व्यय)


²⁴ उत्तर पूर्व (एनई) तथा हिमालयन राज्यों को छोड़कर अन्य राज्य

तालिका 2.21 से यह स्पष्ट है कि यद्यपि वर्ष 2016–17 की तुलना में वर्ष 2020–21 में राज्य के पूंजीगत व्यय के साथ-साथ शिक्षा पर कुल व्यय का प्रतिशत कम हुआ, लेकिन वर्ष 2020–21 के दौरान यह सामान्य श्रेणी के राज्यों के अखिल भारतीय औसत से अधिक था। अग्रेतर, वर्ष 2020–21 में वर्ष 2016–17 की तुलना में स्वास्थ्य पर व्यय के कुल व्यय के प्रतिशत में सुधार हुआ। तथापि, वर्ष 2020–21 के दौरान यह सामान्य श्रेणी के राज्यों के अखिल भारतीय औसत से कम था।

2.7.7 मानक मदवार व्यय

मानक मद विनियोग की प्राथमिक इकाई हैं, जो व्यय की आर्थिक प्रकृति जैसे वेतन और मजदूरी, कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय, व्यावसायिक सेवाएं, सहायक अनुदान, आदि को दर्शाती है। वर्ष 2020–21 के दौरान मानक मदवार व्यय को चार्ट 2.12 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.12 : वर्ष 2020–21 के दौरान मानक मदवार व्यय (प्रतिशत में)



स्रोत: वित्त लेखे 2020–21

चार्ट 2.12 से स्पष्ट है कि राज्य की संचित निधि के अन्तर्गत मानक मद वेतन, वेतन एवं पेंशन तथा सेवानिवृत्ति परिलाभों के लिये सहायता अनुदान के अन्तर्गत व्यय कुल व्यय (₹ 3,78,711 करोड़) का 35.04 प्रतिशत है। इसके अलावा, सहायता अनुदान (गैर-वेतन), ब्याज/लाभांश एवं सब्सिडी समेकित निधि व्यय के क्रमशः 11.30 प्रतिशत, 10.06 प्रतिशत और 3.08 प्रतिशत है। निवेश एवं ऋण और वृहद निर्माण कार्यों जो कि पूंजीगत प्रकृति के थे, पर व्यय कुल व्यय के क्रमशः 10.51 प्रतिशत और 8.52 प्रतिशत हैं।

2.8 लोक लेखा

प्राप्तियों एवं संवितरणों से सम्बन्धित कुछ संव्यवहारों यथा लघु बचत, भविष्य निधियां, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण इत्यादि जो समेकित निधि के भाग नहीं होते हैं, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अन्तर्गत लोक लेखे में रखे जाते हैं एवं वे राज्य विधायिका के मतदान के अधीन नहीं होते हैं। सरकार इनके संबंध में एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के पश्चात अवशेष विभिन्न प्रयोजनों एवं उपयोग के लिए सरकार के पास उपलब्ध निधि है।

2.8.1 निवल लोक लेखा संव्यवहार

लोक लेखा के अंतर्गत प्राप्तियों एवं संवितरण की स्थिति वित्त लेखे के विवरण-21 में दर्शाई गई है तथा 2016-21 की अवधि के दौरान लोक लेखा (निवल) के संव्यवहारों का विवरण तालिका 2.22 में दिया गया है।

तालिका 2.22 : 2016-21 के दौरान घटक वार लोक लेखा (निवल) संव्यवहार

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप-क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
अल्प बचत, भविष्य निधियाँ आदि	लघु बचत, भविष्य निधियाँ आदि	1,619	2,530	3,646	3,314	1,062
आरक्षित निधि	(अ) ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ	0	0	0	1757	(-)252
	(ब) ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ	7,225	8,265	13,545	(-)70,056	(-)247
जमा एवं अग्रिम	(अ) ब्याज सहित जमा	187	220	184	883	607
	(ब) ब्याज रहित जमा	(-)405	1,189	2,000	(-)2,990	1,308
	(स) अग्रिम	(-)83	4	12	17	(-)0.15
उचन्त एवं विविध	(अ) उचन्त	152	(-)1,436	(-)236	(-)1,743	1,859
	(ब) अन्य लेखे	440	(-)778	459	(-)85	(-)162
	(स) बाह्य देशों की सरकारों के साथ लेखे	0	0	0	0	0
	(द) विविध	0	0	0	0	0
प्रेषण	(अ) मनी आर्डर तथा अन्य प्रेषण	750	(-)3,910	329	308	(-)323
	(ब) अन्तर शासकीय समायोजन लेखे	(-)2	4	(-)16	5	(-)2
योग		9,883	6,088	19,923	(-)68,590	4,850

टिप्पणी: धनात्मक इंगित करता है कि प्राप्तियाँ संवितरण से अधिक हैं और ऋणात्मक उसका विपरीत इंगित करता है।

2.8.2 आरक्षित निधियाँ

राज्य सरकार के लोक लेखे के अन्तर्गत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए आरक्षित निधियाँ सृजित की जाती हैं। इन निधियों को राज्य की संचित निधि के साथ-साथ भारत सरकार से अंशदान या अनुदान से पूरा किया जाता है। आरक्षित निधियों एवं निर्धारित निधियों से निवेश के बारे में विस्तार से सूचना वित्त लेखे के विवरणी 21 और 22 में उपलब्ध है, जो परिशिष्ट 2.4 में संक्षेपित किया गया है।

31 मार्च 2021 को, कुल संचयी अवशेष ₹ 5,027.19 करोड़ के साथ 17 आरक्षित निधियाँ थी। इनमें से एक ब्याज सहित आरक्षित निधि²⁵ यथा राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि के अन्तर्गत ₹ 1,505.26 करोड़ एवं 16 ब्याज रहित आरक्षित निधि के अन्तर्गत ₹ 3,521.93 करोड़ था, जिसमें ₹ 9.92 करोड़ की अवशेष धनराशि के साथ दो निष्क्रिय निधियाँ सम्मिलित थी। अग्रेतर, राज्य सरकार ने आरक्षित निधि अवशेष से ₹ 1,045.20 करोड़

²⁵ एक निधि जहाँ राज्य सरकार को निधि में जमा धनराशि पर सरकार द्वारा तय की गयी दर से ब्याज का भुगतान करना अपेक्षित है।

भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया था। कुछ प्रमुख आरक्षित निधियों के विवरण की चर्चा नीचे की गयी है:

2.8.2.1 समेकित निक्षेप निधि

बारहवें वित्त आयोग (2005–10) ने अनुशंसा किया (नवम्बर 2004) कि सभी राज्यों द्वारा बैंकों से ऋण, एनएसएसएफ के कारण देनदारियां आदि सहित सभी ऋणों के परिशोधन के लिये निक्षेप निधि की स्थापना की जानी चाहिये। इस निधि का रखरखाव राज्य की संचित निधि तथा लोक लेखे से अलग किया जाना चाहिये और इसका उपयोग ऋणों के विमोचन के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये नहीं किया जाना चाहिये। राज्य सरकारों की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बाजार ऋणों/दायित्वों के परिशोधन को सुगम बनाने के लिये समेकित निक्षेप निधि (सीएसएफ) का रख रखाव करता है।

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, राज्य सरकार ने मार्च 2020 में 'उत्तर प्रदेश सरकार की समेकित निक्षेप निधि' का गठन किया, जो वित्तीय वर्ष 2020–21 से लागू होना था। सरकार की लम्बित देनदारियों के विमोचन के लिये परिशोधन निधि के रूप में निधि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2020–21 से प्रारंभ किया जाना था। राज्य सरकार की अधिसूचना (17 मार्च 2020) के अनुसार, सरकार विगत वर्ष के अंत में लम्बित देनदारियों, अर्थात् आंतरिक ऋण एवं लोक लेखे की देनदारियों का कम से कम 0.50 प्रतिशत योगदान करेगी। निधि के कोष में आवधिक अंशदान के साथ-साथ निधि में उपार्जित आय को सरकार के सामान्य राजस्व से बाहर रखा जायेगा। सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अधीन निधि का प्रबंधन आरबीआई द्वारा किया जायेगा। निधि में प्राप्ति का निवेश भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, कोषागार बिल, भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों और अन्य राज्यों के राज्य विकास ऋणों में किया जायेगा, जैसा कि बैंक समय-समय पर सरकार के परामर्श से निर्धारित करें।

आरबीआई के साथ 'उत्तर प्रदेश सरकार की समेकित निक्षेप निधि' के संचालन से पूर्व, राज्य सरकार राज्य के लोक लेखे में एक अन्य निक्षेप निधि का रख-रखाव कर रही थी। राज्य सरकार की अधिसूचना (17 मार्च 2020) के अनुसार, मार्च 2020 के अंत में विद्यमान निक्षेप निधि के अन्तर्गत अवशेष धनराशि को समेकित निक्षेप निधि में स्थानांतरित किया जाना था। तथापि, राज्य सरकार ने लोक लेखा के अन्तर्गत विद्यमान निक्षेप निधि की कुल अवशेष धनराशि ₹ 71,180.23 करोड़ को राज्य की संचित निधि में अंतरित कर दिया (30 मार्च 2020)। परिणामस्वरूप, 1 अप्रैल 2021 को 'उत्तर प्रदेश सरकार की समेकित निक्षेप निधि' का प्रारंभिक अवशेष शून्य था।

वर्ष 2020–21 के दौरान, राज्य सरकार ने केवल ₹ 1,000.00 करोड़ (शीर्ष 2048–00–101–ऋण की कमी या परिहार के लिये विनियोग) का विनियोग किया और समान धनराशि को शीर्ष 8222–01–101–निक्षेप निधि में स्थानांतरित कर दिया। आरबीआई ने इस धनराशि को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया और उस पर ₹ 32.93 करोड़ की उपार्जित आय अर्जित किया।

समेकित निक्षेप निधि के दिशा-निर्देशों के दृष्टिगत, सरकार द्वारा समेकित निक्षेप निधि में कम से कम ₹ 2,454.42 करोड़ (वर्ष 2019–20 के अंत में ₹ 4,90,883.27 करोड़ की आंतरिक ऋण और लोक लेखे की देनदारियों का 0.50 प्रतिशत) का अंशदान करना अपेक्षित था। इस प्रकार, ₹ 1,454.42 करोड़ (₹ 2,454.42 करोड़ – ₹ 1,000.00 करोड़) का कम अंशदान किया गया था, जो वर्ष 2020–21 के दौरान निक्षेप निधि निवेश का भाग नहीं बन सका।

2.8.2.2 मूल्यहास आरक्षित निधि

राज्य सरकार ने अनुपयोगी संयन्त्र एवं मशीनरी के नवीनीकरण तथा प्रतिस्थापन हेतु संयन्त्र एवं मशीनरी के क्रय, संयन्त्र एवं मशीनरी की विशेष मरम्मत तथा नवीनतम तकनीक से युक्त संयन्त्र एवं मशीनरी क्रय हेतु उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मूल्यहास आरक्षित निधि (डीआरएफ) का सृजन किया (मार्च 2005)। डीआरएफ का रख-रखाव लोक लेखे में लेखा शीर्ष 8226-102 के अन्तर्गत किया जाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान, निधि में (-)₹ 7.99 करोड़ का प्रारम्भिक अवशेष था और इसमें से ₹ 9.21 करोड़ का संवितरण किया गया, परिणामस्वरूप, डीआरएफ का अंतिम अवशेष (-)₹ 17.20 करोड़ था।

सरकार ने निर्धारित किया कि डीआरएफ के लिये 1.50 प्रतिशत धनराशि कार्य के सापेक्ष डेबिट की जायेगी और प्राप्ति शीर्ष 1054-800-04 में जमा की जायेगी। यह धनराशि अभीष्ट उद्देश्यों के लिये लोक लेखे के अन्तर्गत डीआरएफ में अंतरित की जायेगी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार ने डीआरएफ के सम्बन्ध में लेखाशीर्ष 1054-800-04 के अन्तर्गत गैर-कर राजस्व के रूप में ₹ 216.31 करोड़²⁶ हस्तान्तरित किया। तथापि, डीआरएफ (शीर्ष 8226-102) को कोई धनराशि हस्तान्तरित नहीं की गयी थी। इस प्रकार, सरकार ने कार्य की लागत में वृद्धि करके अपनी राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि की थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ने बताया (अक्टूबर 2021) कि डीआरएफ के लिये प्राप्त धनराशि का हस्तांतरण/समायोजन शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन था।

2.8.2.3 राज्य आपदा अनुक्रिया निधि

राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (एसडीआरएफ), आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (ए) के अन्तर्गत गठित एक कोष है। एसडीआरएफ ने 1 अप्रैल 2010 से पूर्ववर्ती आपदा राहत कोष को प्रतिस्थापित किया। अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (सितम्बर 2010 एवं जुलाई 2015) के अनुसार, एसडीआरएफ का उपयोग केवल अधिसूचित आपदाओं यथा चक्रवात, सूखा, भूकंप, अग्नि, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटने, कीटों के हमले एवं शीत लहर/ठंड के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिये व्यय को पूरा करने के लिये किया जायेगा। एसडीआरएफ के दिशानिर्देश आगे निम्नलिखित को निर्धारित करते हैं:

- सम्बन्धित राज्य सरकारों के लेखे में मुख्य शीर्ष-8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि-122-राज्य आपदा अनुक्रिया निधि के नीचे 'ब्याज सहित आरक्षित निधि' के अन्तर्गत लोक लेखे में निधि का गठन किया जायेगा।
- प्रत्येक राज्य के लिए एसडीआरएफ में वार्षिक योगदान की धनराशि वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार निर्धारित होगी। एसडीआरएफ के निर्धारित कुल आकार में से, भारत सरकार सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिये आयोजनेत्तर अनुदान के रूप में कुल वार्षिक आवंटन का 75 प्रतिशत का योगदान करेगी और शेष 25 प्रतिशत का योगदान सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
- राज्य सरकार एसडीआरएफ को आरबीआई के ओवरड्राफ्ट विनियमन दिशानिर्देशों के अन्तर्गत ओवरड्राफ्ट पर लागू ब्याज का भुगतान करेगी। ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर जमा किया जाना है। एसडीआरएफ के निवेश पर अर्जित आय के साथ एसडीआरएफ में प्राप्ति का केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, नीलाम किये

²⁶ वर्ष 2016-17 में ₹ 2.98 करोड़, वर्ष 2017-18 में ₹ 6.32 करोड़, वर्ष 2018-19 में ₹ 72.03 करोड़, वर्ष 2019-20 में ₹ 55.07 करोड़ और वर्ष 2020-21 में ₹ 79.91 करोड़

गये कोषागार बिलों और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ अन्य ब्याज अर्जित जमा में निवेश किया जाना है।

तथापि, राज्य सरकार, एसडीआरएफ का परिचालन मुख्य शीर्ष 8235—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि—111—राज्य आपदा अनुक्रिया निधि के नीचे 'ब्याज रहित आरक्षित निधि' श्रेणी के अन्तर्गत करती है। निधि में अवशेष धनराशि भी भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निवेश नहीं की गयी है।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 आपदा अनुक्रिया निधि के अतिरिक्त शमन निधियों के गठन का भी प्रावधान करता है। इस संदर्भ में, पंद्रहवें वित्त आयोग ने आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अनुसार राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) स्थापित करने की अनुशंसा की थी। इन शमन निधियों का उपयोग उन स्थानीय स्तर पर और समुदाय—आधारित हस्तक्षेपों के लिये किया जायेगा जो जोखिमों को कम करते हैं और पर्यावरण—अनूकूल समाधान एवं आजीविका प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं। आपदा अनुक्रिया के साथ आपदा के शमन के लिये निधियों को राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीआरएमएफ) कहा गया है। वर्ष 2020—21 के लिये एसडीआरएमएफ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के लिये ₹ 2,578 करोड़ आवंटित किये गये थे, जिसमें से, एसडीआरएमएफ का अंश 80 प्रतिशत और एसडीएमएफ का अंश 20 प्रतिशत था। एसडीआरएमएफ एवं एसडीएमएफ की फंडिंग विंडो अंतर—परिवर्तनीय नहीं है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि राज्य सरकार ने एसडीआरएमएफ के लिये भारत सरकार से ₹ 1,933.00 करोड़ प्राप्त किया। तथापि, सम्पूर्ण प्राप्ति को शीर्ष 1601—07—104—एसडीआरएमएफ के अन्तर्गत पुस्तांकित किया गया था। वर्ष 2020—21 के दौरान राज्य की संचित निधि (शीर्ष 1601—07 एवं 2245—08) तथा लोक लेखा (शीर्ष 8121—130) में एसडीएमएफ²⁷ के लेखांकन शीर्षों का परिचालन नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में अग्रतर पाया गया कि राज्य सरकार ने शीर्ष 8235—111 के अन्तर्गत एसडीआरएमएफ को ₹ 1,289.00 करोड़ (केन्द्रीय अंश ₹ 966.50 करोड़ और राज्य अंश ₹ 322.50 करोड़) हस्तान्तरित किया। इस प्रकार, राज्य सरकार ने वर्ष 2020—21 के दौरान प्राप्त केन्द्रीय अंश के ₹ 966.50 करोड़ (अर्थात् ₹ 1,933.00 करोड़ – ₹ 966.50 करोड़) हस्तान्तरित नहीं किया। परिणामस्वरूप, निधि में 75:25 के अनुपात में ₹ 321.83 करोड़ की धनराशि के राज्य अंश के कम हस्तांतरण सहित ₹ 1,288.33 करोड़ का कम हस्तांतरण हुआ।

2020—21 के प्रारम्भ में, एसडीआरएमएफ के पास ₹ 1,527.00 करोड़ की अवशेष धनराशि थी और वर्ष 2020—21 के दौरान एनडीआरएमएफ/विविध प्राप्तियों सहित ₹ 1,305.62 करोड़ प्राप्त हुए। प्राकृतिक आपदाओं पर किये गये ₹ 1,601.61 करोड़ के व्यय को निधि के अवशेष के सापेक्ष समायोजित (मुख्य शीर्ष 2245—05—901) किया गया। इस प्रकार, 31 मार्च 2021 के अंत में अवशेष धनराशि ₹ 1,231.01 करोड़ थी। तथापि, राज्य सरकार ने एसडीआरएमएफ के अन्तर्गत उपलब्ध अवशेष पर ₹ 91.91 करोड़ (वर्ष 2020—21 में लागू ओवरड्राफ्ट पर ब्याज की औसत दर पर छः मासिक आधार पर आकलित) का ब्याज जमा नहीं किया।

एसडीआरएमएफ को कम हस्तांतरण (₹ 1,288.33 करोड़) और एसडीआरएमएफ को ब्याज (₹ 91.91 करोड़) जमा नहीं करने के कारण वर्ष 2020—21 के दौरान राज्य के राजस्व के साथ—साथ राजकोषीय घाटा ₹ 1,380.24 करोड़ कम बताया गया।

²⁷ महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय द्वारा सुधार पर्ची संख्या 958, 959 और 962 दिनांक 01.06.2021 द्वारा संघ और राज्यों के मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची में एसडीएमएफ के लिये नये लेखा शीर्ष खोले गये थे।

2.8.2.4 प्रत्याभूति विमोचन निधि

बारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा (नवम्बर 2004) की थी कि राज्यों को प्रत्याभूति पर राज्य के दायित्वों के आकस्मिक उन्मोचन के लिये निर्धारित प्रत्याभूति शुल्क के माध्यम से प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन किया जाना चाहिये। आगे राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान के माध्यम से प्रत्याभूति की अधिकतम सीमा के लिये अनुशंसा की गयी थी। तथापि, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन नहीं किया है। अग्रेतर, राज्य सरकार ने प्रत्याभूति देने की कोई सीमा तय नहीं की।

विभिन्न संस्थाओं द्वारा लिये गये ऋणों पर राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूति की स्थिति वित्त लेखे के विवरण 9 एवं 20 में दी गई है, जो राज्य सरकार से प्राप्त सूचना पर आधारित है। वित्त लेखे 2020-21 के अनुसार, वर्ष 2020-21 के अंत में 25 संस्थाओं, यथा सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों और अन्य संस्थानों के लिये राज्य सरकार द्वारा निष्पादित बकाया प्रत्याभूति ₹ 1,50,554 करोड़ थी। इसमें वर्ष 2020-21 में ₹ 36,131.84 करोड़ की प्रत्याभूति की निवल वृद्धि सम्मिलित थी, जो कि जीएसडीपी का 2.12 प्रतिशत था। अग्रेतर, वर्ष 2020-21 के दौरान कोई प्रत्याभूति शुल्क प्राप्त नहीं हुई थी।

2.8.2.5 राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि

राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि (एससीएएफ) की स्थापना प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत की गई थी। प्रतिपूरक वनीकरण निधि (लेखांकन प्रक्रिया) नियम, 2018 में प्रावधान है कि राज्य सरकारों द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसियों²⁸ से प्राप्त धनराशि को राज्य के लोक लेखे में मुख्य शीर्ष 8336-सिविल जमा के नीचे लघु शीर्ष-103 पर ब्याज सहित अनुभाग के अन्तर्गत 'राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निक्षेप' में जमा किया जाना है। इसमें से 90 प्रतिशत को राज्य के लोक लेखा में मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य और अन्य आरक्षित निधि के नीचे लघु शीर्ष 129-एससीएएफ में अंतरित किया जायेगा और शेष 10 प्रतिशत प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 की धारा 3 (4) के अनुसार वार्षिक आधार पर राष्ट्रीय निधि में जमा किया जायेगा।

वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार को उपयोगकर्ता एजेंसियों से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई। इसलिये, एससीएएफ में कोई धनराशि जमा नहीं की गयी। 31 मार्च 2021 को, निधि में अवशेष धनराशि ₹ 1,505.26 करोड़ थी।

लेखा शीर्ष 8336-सिविल जमा के अन्तर्गत राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा और 8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि के अन्तर्गत एससीएएफ में उपलब्ध अवशेष धनराशि पर ब्याज का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर घोषित लागू दर के अनुसार किया जाना है। वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार को 3.40 प्रतिशत²⁹ प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना अपेक्षित था। तथापि, राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिये प्रारंभिक अवशेष धनराशि ₹ 1,757.31 करोड़ पर ₹ 59.75 करोड़ के ब्याज का भुगतान नहीं किया। इससे वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार के राजस्व घाटे के साथ-साथ राजकोषीय घाटे को ₹ 59.75 करोड़ कम बताया गया।

²⁸ 'उपयोगकर्ता एजेंसी' से तात्पर्य किसी व्यक्ति, संस्थान या कंपनी या भारत सरकार या राज्य सरकार के विभाग से है जो गैर-वन उद्देश्य हेतु विपथन करने या वन भूमि की अधिसूचना रद्द करने का अनुरोध करता है अथवा वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में निहित प्रावधानों तथा उसके बाद बने नियमों तथा निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-वन उद्देश्यों हेतु उपयोग करने का अनुरोध करता है।

²⁹ जैसा कि पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया।

2.9 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन सरकार के ऋण के प्रबंधन के लिए एक रणनीति स्थापित करने और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है, जिससे आवश्यक मात्रा में निधियों की उगाही, इसके जोखिम और लागत उद्देश्यों की प्राप्ति और कोई अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्य जिसे अधिनियम या किसी वार्षिक बजट घोषणाओं द्वारा निर्धारित किया गया हो, को पूर्ण किया जा सके।

2.9.1 ऋण रूपरेखा : घटक

राज्य सरकार के कुल ऋण का गठन आमतौर पर राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, आरबीआई से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियां और वित्तीय संस्थानों से ऋण, आदि), केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम तथा लोक लेखा देयताएं से होता है। वित्त लेखे का विवरण 6 राज्य सरकार की बकाया देनदारियों की स्थिति को प्रदर्शित करता है, जिसे तालिका 2.23 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.23 : अवधि 2016–21 में घटक वार ऋण की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
बकाया कुल ऋण	4,23,224	4,67,842	5,18,095	5,02,412	5,64,972*
लोक ऋण					
आन्तरिक ऋण	2,88,627	3,21,479	3,53,190	4,05,049	4,58,552
भारत सरकार से ऋण	13,250	12,812	11,980	11,529	18,107*
लोक लेखा दायित्व	1,21,347	1,33,551	1,52,925	85,834 ³⁰	88,313
अवशेष कुल ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	15.24	10.54	10.74	(-)3.03	12.45
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)	12,88,700	14,16,006	15,84,764	16,87,818	17,05,593
ऋण/जीएसडीपी (प्रतिशत)	32.84	33.04	32.69	29.77	32.77*
लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	1,13,172	90,052	1,13,504	1,12,696	1,23,555
लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के अन्तर्गत पुनर्भुगतान (मूलधन तथा ब्याज)	84,099	74,570	95,293	1,63,192	98,424
उपलब्ध निवल निधियाँ	29,073	15,482	18,211	(-)50,496	25,131
उपलब्ध निवल निधियों की लोक ऋणों एवं अन्य दायित्व के अन्तर्गत प्राप्तियों से प्रतिशतता	25.69	17.19	16.04	(-) 44.81	20.34

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

* जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के सापेक्ष वर्ष 2020–21 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त बैंक-टू-बैंक ऋण ₹ 6,007 करोड़ इसमें सम्मिलित है। इस ऋण का ऋण शोधन जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में प्राप्त उपकर से किया जाना था तथा इस प्रकार, पुनर्भुगतान दायित्व की पूर्ति राज्य के अन्य स्रोतों से नहीं की जायेगी। भारत सरकार के स्पष्टीकरण के अनुसार, यह ऋणग्रस्तता वित्त आयोग आदि द्वारा निर्धारित किसी भी मानदण्ड के लिये राज्य के ऋण के रूप में नहीं मानी जायेगी। इस बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर, वर्ष 2020–21 के अन्त में राज्य का प्रभावी सकल ऋण ₹ 5,58,965 करोड़ था जिसमें भारत सरकार से प्राप्त ₹ 12,100 करोड़ का ऋण शामिल था। इस प्रकार, वर्ष 2020–21 के दौरान ऋण-जीएसडीपी अनुपात 32.77 प्रतिशत था।


³⁰ वर्ष 2019–20 में कमी मुख्यतः मार्च 2020 में निक्षेप निधि के ₹ 71,180.23 करोड़ अवशेष पुस्तकीय शेष को करेतर राजस्व में अन्तरण के कारण थी।

जैसा कि तालिका 2.23 में दर्शाया गया है, अवधि 2016–21 के दौरान राज्य सरकार के समग्र ऋण के अन्तर्गत आंतरिक ऋण वर्ष 2016–17 में ₹ 2,88,627 करोड़ से 58.87 प्रतिशत बढ़कर 2020–21 में ₹ 4,58,552 करोड़ हो गया। वर्ष 2020–21 के दौरान आन्तरिक ऋण में विगत वर्ष की तुलना में 13.21 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कि ₹ 54,622 करोड़ के राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण हेतु आवश्यक थी, जैसा कि प्रस्तर 2.9.2 में विस्तार से दर्शाया गया है। अवधि 2016–20 के दौरान केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम में कमी की प्रवृत्ति देखी गई है, लेकिन वर्ष 2020–21 में, इसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के कारण भारत सरकार से प्राप्त बैंक-टू-बैंक ऋण की धनराशि ₹ 6,007 करोड़ जिसपर राज्य को पुनर्भुगतान का दायित्व नहीं है, के कारण ₹ 6,578 करोड़ की वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, राज्य का सकल ऋण वर्ष 2019–20 की तुलना में वर्ष 2020–21 में 12.45 प्रतिशत बढ़ गया।

लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों के अन्तर्गत उपलब्ध निवल निधि का उनकी प्राप्तियों से प्रतिशत में, वर्ष 2016–17 (25.69 प्रतिशत) से वर्ष 2020–21 (20.34 प्रतिशत) तक उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति थी। लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों के अन्तर्गत निवल निधि, वर्ष 2019–20 के दौरान मुख्य रूप से निक्षेप निधि के अवशेष धनराशि के बिना वास्तविक प्राप्ति के, राजस्व प्राप्तियों में पुस्तकीय अंतरण के कारण ऋणात्मक अर्थात् (-) ₹ 50,496 करोड़ हो गयी।

चार्ट 2.13 वर्ष 2020–21 के अन्त में राज्य सरकार के बकाया सकल ऋण की स्थिति को दर्शाता है।


चार्ट 2.13 : वर्ष 2020–21 के अन्त में बकाया सकल ऋण का ब्यौरा



स्रोत: वित्त लेखे 2020–21

2016–21 की अवधि के दौरान लिये गये लोक ऋण एवं उसके पुनर्भुगतान की प्रवृत्ति को चार्ट 2.14 में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 2.14: 2016–21 की अवधि के दौरान लिये गये लोक ऋण के सापेक्ष पुर्नभुगतान



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.14 से स्पष्ट है कि अवधि 2016–17 से 2020–21 के दौरान, राज्य सरकार ने अपनी लोक ऋण प्राप्त धनराशि का 64 प्रतिशत से 95 प्रतिशत का उपयोग पिछले लोक ऋणों और ब्याज की देनदारियों के पुनर्भुगतान में किया, परिणामस्वरूप, लोक ऋण का मात्र 5 प्रतिशत से 36 प्रतिशत ही पूंजीगत व्यय के लिए उपलब्ध था। यह उपलब्धता वर्ष 2018–19 में न्यूनतम और वर्ष 2016–17 में अधिकतम थी। वर्ष 2020–21 में राज्य सरकार ने अपनी ऋण प्राप्त धनराशि का 69 प्रतिशत पिछले ऋणों के पुनर्भुगतान और ब्याज भुगतान में उपयोग किया, परिणामस्वरूप मात्र 31 प्रतिशत धनराशि ही पूंजीगत व्यय के लिए उपलब्ध थी।

2.9.2 राजकोषीय घाटे के घटक और इसका वित्तपोषण

तीन प्रमुख राजकोषीय मापदण्ड—राजस्व घाटा/अधिशेष, राजकोषीय घाटा/अधिशेष और प्राथमिक घाटा/अधिशेष—एक निर्दिष्ट अवधि में राज्य सरकार के वित्त में समग्र राजकोषीय असंतुलन की सीमा को दर्शाते हैं। सरकारी लेखे में घाटा प्राप्तियों और व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है।

राजस्व अधिशेष राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के अंतर को दर्शाता है। राजस्व अधिशेष ऋणों को कम करने में सहायक है। राजकोषीय घाटा राजस्व तथा गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों पर राजस्व और ऋण तथा अग्रिमों सहित पूंजीगत व्यय का आधिक्य है। राजकोषीय घाटा सरकार के निवल वृद्धिमान दायित्वों अथवा इसके अतिरिक्त उधार को दर्शाता है। राजकोषीय घाटे का ब्यौरा सरकार द्वारा अपनी निधियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राजस्व तथा गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से इतर विभिन्न उधारों के वित्तपोषण की सीमा को उद्घाटित करता है। अग्रेतर, जिस तरह से घाटे को वित्तपोषित किया जाता है और संसाधनों को लागू किया जाता है, यह इसके राजकोषीय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण संकेतक हैं। यह खंड प्रवृत्तियों, प्रकृति, परिमाण और इन घाटों के वित्तपोषण के तरीके को प्रस्तुत करता है। प्रमुख राजकोषीय मापदण्डों की समग्र स्थिति तालिका 2.24 में दी गई है।

तालिका 2.24 : राजकोषीय घाटे के घटक एवं इनके वित्तपोषण का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

विवरण		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजकोषीय घाटे (-)/ अधिशेष (+) का संघटन*		(-) 55,988	(-) 27,810	(-)35,203	(+) 11,083	(-) 54,622
1	राजस्व घाटा (-) / अधिशेष (+)	(+) 20,283	(+) 12,552	(+)28,250	(+)67,560	(-)2,367
2	निवल पूंजीगत व्यय ³¹	(-) 69,789	(-) 39,088	(-) 62,463	(-) 59,998	(-) 52,237
3	निवल ऋण एवं अग्रिम ³²	(-) 6,482	(-) 1,274	(-) 990	(+) 3,521	(-)18
राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का स्वरूप (निवल)						
1	बाजार ऋण	36,904.42	37,178.00	33,306.67	55,825.80	63,499.68
2	भारत सरकार से ऋण	(-) 408.59	(-) 437.81	(-) 832.22	(-) 450.84	6,577.99
3	एनएसएसएफ को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	(-) 4,531.58	(-) 4,643.05	(-) 4,871.64	(-) 5,122.07	(-) 5,122.07
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	15,418.15	317.32	3,275.84	1,155.20	(-) 4,874.22
5	लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	1,619.10	2,530.12	3,645.59	3,313.67	1,062.40
6	जमा एवं अग्रिम	(-) 300.62	1,413.38	2,196.34	(-) 2,089.80	1,914.78
7	उचन्त एव विविध	591.36	(-) 2,214.62	222.67	(-) 1,828.11	1,697.48
8	प्रेषण	747.79	(-) 3,906.31	312.67	313.50	(-)325.46
9	आरक्षित निधि	7,225.02	8,264.72	13,544.71	(-) 68,298.52	500.94
10	आकस्मिकता निधि	(-) 176.04	(-) 154.96	(-) 166.65	629.73	(-) 100.00
11	सकल घाटा	57,089.01	38,346.79	50,633.98	(-) 16,551.44	64,831.52
12	नगद अवशेष में वृद्धि (-)/कमी (+)	(-) 1,100.99	(-) 10,537.00	(-) 15,431.00	5,468.75	(-)10,209.41
13	सकल राजकोषीय घाटा	55,988.02	27,809.79	35,202.98	(-) 11,082.69	54,622.11

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

* राजकोषीय घाटा के आंकड़े सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे पर आधारित हैं। इसमें वर्ष 2016-17 में उदय पर हुये व्यय को जोड़ा गया है। वर्ष 2016-17 में उदय पर हुये व्यय को छोड़कर राजकोषीय घाटा ₹ 41,187 करोड़ था।

अवधि 2016-20 के दौरान राजस्व अधिशेष में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति थी। यह 2017-18 में न्यूनतम ₹ 12,552 करोड़ और 2019-20 में अधिकतम ₹ 67,560 करोड़ था। तथापि, राज्य ने वर्ष 2020-21 में राजस्व अधिशेष के स्तर को बनाये नहीं रख सका तथा इस अवधि में ₹ 2,367 करोड़ का राजस्व घाटा दर्ज किया।

राजकोषीय घाटे में भी अवधि 2016-21 के दौरान उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति थी। यह वर्ष 2016-17 में ₹ 55,988 करोड़ से घटकर वर्ष 2017-18 में ₹ 27,810 करोड़ हो गया और फिर वर्ष 2018-19 में बढ़कर ₹ 35,203 करोड़ हो गया। वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार का राजस्व अधिशेष (₹ 67,560 करोड़) और राजकोषीय अधिशेष (₹ 11,083 करोड़) मुख्य रूप से निक्षेप निधि के ₹ 71,180 करोड़ के पुस्तकीय अवशेष के राजस्व प्राप्ति लेखे में, बिना किसी वास्तविक रोकड़ प्राप्ति के, अंतरण के कारण था। यदि निक्षेप निधि के अवशेष के इस बुक अंतरण को छोड़ दिया जाये तो वास्तव

³¹ निवल पूंजीगत व्यय = विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ (-) पूंजीगत व्यय; ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक है।

³² निवल ऋण एवं अग्रिम = ऋण एवं अग्रिमों की वसूली (-) संवितरित ऋण एवं अग्रिम; ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि वर्ष के दौरान संवितरित ऋण एवं अग्रिम वसूली से अधिक है।

में वर्ष 2019–20 में राजस्व घाटा ₹ 3,620 करोड़ और राजकोषीय घाटा ₹ 60,097 करोड़ था।

वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य ने ₹ 54,622 करोड़ का राजकोषीय घाटा दर्ज किया। तथापि, जैसा कि प्रस्तार 1.4.1 में वर्णित है, वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य के राजकोषीय घाटे तथा राजस्व घाटे को जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में अपर्याप्त अवशेष रहने के कारण राज्य को जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले में प्राप्त ₹ 6,007 करोड़ के ऋण को संदर्भ में रखते हुए देखना चाहिए।

2.9.3 ऋण रूपरेखा: परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान

ऋण परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान रूपरेखा ऋण के पुनर्भुगतान या ऋण के सर्विस के लिए सरकार की ओर से प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 31 मार्च 2021 को ₹ 5,64,972 करोड़ के बकाया समग्र ऋण/सकल शेष वित्तीय दायित्वों में से, ₹ 88,313 करोड़ लोक लेखे के दायित्वों/अन्य दायित्वों से सम्बन्धित हैं। शेष लोक ऋण (₹ 4,76,659 करोड़) की परिपक्वता रूपरेखा तालिका 2.25 एवं चार्ट 2.15 में दर्शायी गयी है।


तालिका 2.25 : राज्य ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता रूपरेखा

पुनर्भुगतान की अवधि (वर्ष)	धनराशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशत (लोक ऋण के संदर्भ में)
0 – 1	28,747.42	6.03
1 – 3	43,801.18	9.19
3 – 5	69,805.38	14.64
5 – 7	1,00,319.25	21.05
7 एवं अधिक	2,25,285.64	47.26
अन्य (राज्य सरकार से मिलान के अधीन/ऋण पुनर्भुगतान विवरण वांछित)	8,700.10*	1.83
योग	4,76,658.97	100.00

स्रोत: वित्त लेखे 2020–21

*इसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के सापेक्ष भारत सरकार से प्राप्त बैंक-टू-बैंक ऋण ₹ 6,007 करोड़ सम्मिलित है। इस ऋण की देयता जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में प्राप्त उपकर से की जायेगी तथा इसलिए, पुनर्भुगतान के दायित्व की पूर्ति राज्य सरकार के अन्य स्रोतों से नहीं की जायेगी।

चार्ट 2.15 : ऋण परिपक्वता रूपरेखा



स्रोत: वित्त लेखे 2020–21

लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा इंगित करती है कि वर्ष 2021–22, 2022–24, 2024–26 और 2026–28 की अवधि के दौरान ऋण चुकाने के लिए राज्य की देयता क्रमशः ₹ 28,747.42 करोड़ (6.03 प्रतिशत), ₹ 43,801.18 करोड़ (9.19 प्रतिशत), ₹ 69,805.38 करोड़ (14.64 प्रतिशत) और ₹ 1,00,319.25 (21.05 प्रतिशत) होगी। अग्रेतर, कुल लोक ऋण के ₹ 2,25,285.64 करोड़ (47.26 प्रतिशत) का सात वर्षों के बाद भुगतान किया जायेगा।

2.9.4 ऋण संवहनीयता

भविष्य में अपने ऋण दायित्वों की सर्विस करने की राज्य की क्षमता को ऋण संवहनीयता के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसलिए ऋण की संवहनीयता वर्तमान या प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल संपत्ति की पर्याप्तता और ऐसे उधारों से प्रतिफल के साथ अतिरिक्त उधार की लागत के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता को भी संदर्भित करती है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि की ऋण चुकाने की क्षमता में वृद्धि के साथ तारतम्यता होनी चाहिए। ऋण संवहनीयता ऋण विमोचन (मूलधन एवं ब्याज भुगतान) के सकल ऋण प्राप्तियों से अनुपात और उपलब्ध ऋण धनराशि के अनुप्रयोग पर भी निर्भर करती है। ऋण विमोचन का ऋण प्राप्तियों से अनुपात पूंजीगत व्यय हेतु लिये गये ऋण की निवल उपलब्धता को इंगित करते हुए यह दर्शाता है कि ऋण प्राप्तियों का उपयोग ऋण विमोचन में किस सीमा तक किया गया।

राज्य के लोक ऋण की ऋण संवहनीयता के संकेतक तालिका 2.26 एवं चार्ट 2.16 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.26 : ऋण संवहनीयता के संकेतकों की प्रवृत्ति

ऋण संवहनीयता संकेतक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
बकाया लोक ऋण ³³ (₹ करोड़ में)	3,01,877	3,34,291	3,65,170	4,16,578	4,76,659*
बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	18.62	10.74	9.24	14.08	14.42
जीएसडीपी (₹ करोड़ में)	12,88,700	14,16,006	15,84,764	16,87,818	17,05,593
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	13.26	9.88	11.92	6.50	1.05
लोक ऋण / जीएसडीपी	23.42	23.61	23.04	24.68	27.59
बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत में)	8.34	7.99	8.06	7.83	7.48
लोक ऋण पर ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	9.03	9.12	8.54	8.36	11.28
लोक ऋण भुगतान का लोक ऋण प्राप्तियों से प्रतिशत	30.00	31.64	40.15	30.35	30.83
राज्य के लिए उपलब्ध निवल लोक ऋण ³⁴	24,177	7,000	2,694	20,784	26,661
ऋण प्राप्तियों के सापेक्ष निवल लोक ऋण की उपलब्धता प्रतिशतता में	35.72	14.76	5.22	28.16	30.69
प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+)	(-) 29,052**	1,326	(-) 3,161	45,896	(-) 17,194
ऋण संवहनीयता (₹ करोड़ में)* (क्वांटम स्प्रेड ³⁵ + प्राथमिक घाटा)	14,56,183	6,33,136	14,06,395	(-)5,08,153	(-)30,67,019

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

*वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य की पुनर्भुगतान देयता से रहित जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के लिए भारत सरकार से प्राप्त ₹ 6,007 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर लोक ऋण संवहनीयता की गणना की गयी है। इस प्रकार, वर्ष 2020-21 के अन्त में, पिछले वर्ष की तुलना में 12.98 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ प्रभावी लोक ऋण ₹ 4,70,652 करोड़ था, लोक ऋण का जीएसडीपी से अनुपात 27.59 प्रतिशत था एवं लोक ऋण की औसत ब्याज दर 7.53 प्रतिशत थी।


**वर्ष 2016-17 के दौरान प्राथमिक घाटा में उदय पर व्यय शामिल है जिससे वित्त लेखे में आँकड़ों का मिलान किया जा सके।

³³ बकाया लोक ऋण मुख्य शीर्षों 6003-आंतरिक ऋण तथा 6004-केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम में अवशेष का योग है।

³⁴ राज्य सरकार के लिए निवल लोक ऋण उपलब्धता की गणना लोक ऋण की अदायगी तथा लोक ऋण पर ब्याज भुगतान के सापेक्ष लोक ऋण प्राप्तियों के आधिक्य के रूप में की जाती है।

³⁵ क्वांटम स्प्रेड = ऋण स्टॉक x इंटररेस्ट स्प्रेड एवं इंटररेस्ट स्प्रेड = (जीएसडीपी वृद्धि दर-औसत ब्याज दर)

चार्ट 2.16 : ऋण संवहनीयता संकेतांक



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.26 तथा चार्ट 2.16 का विश्लेषण निम्नानुसार इंगित करता है:

- राज्य का कुल बकाया लोक ऋण वर्ष 2016-17 के ₹ 3,01,877 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹ 4,76,659 करोड़ हो गया। वर्ष 2020-21 के दौरान इसमें विगत वर्ष की तुलना में 14.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, वर्ष 2020-21 में बकाया लोक ऋण में भारत सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के एवज में बिना राज्य की पुनर्भुगतान देयता के प्राप्त बैंक-टू-बैंक ऋण ₹ 6,007 करोड़ सम्मिलित था। इस बैंक-टू-बैंक ऋण को घटाते हुए, वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य की लोक ऋण की वृद्धि दर 12.98 प्रतिशत थी, जो कि विगत वर्ष की लोक ऋण की वृद्धि दर 14.08 प्रतिशत से कम थी।
- ऋण संवहनीयता की स्थिति दर्शाती हैं कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ क्वांटम स्प्रेड शून्य है तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात स्थिर होगा या ऋण अंततः स्थिर हो जायेगा। यदि यह धनात्मक है तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात अंततः नीचे जायेगा और इसके इतर यदि क्वांटम स्प्रेड के साथ-साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक हो जाता है तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि होगी। जैसा कि तालिका 2.26 में आगणित किया गया है, वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 में ऋण संवहनीयता ऋणात्मक थी, जबकि यह वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान धनात्मक थी। यह वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान जीएसडीपी वृद्धि दर के सापेक्ष लोक ऋण पर उच्च औसत ब्याज दर के कारण थी।
- ब्याज भुगतान के उच्च प्रतिशत के कारण प्राथमिकता के क्षेत्रों के लिए कम निधि रह जाती है। राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष ब्याज भुगतान का प्रतिशत सरकार के लिए एक निर्धारित अवधि में उसके ऋणों पर ब्याज भुगतान के सापेक्ष सुरक्षा की सीमा का आकलन करता है। वर्ष 2018-19 से लोक ऋण पर ब्याज भुगतान के प्रतिशत में सतत वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई देती है। वर्ष 2020-21 के दौरान लोक ऋण पर ब्याज भुगतान विगत वर्ष की तुलना में 9.37 प्रतिशत बढ़ गया तथा यह राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 11.28 प्रतिशत था।
- ब्याज और लोक ऋण के पुनर्भुगतान के प्रावधान के पश्चात् वर्तमान परिचालनों के लिए उपलब्ध निवल ऋण की धनराशि वर्ष 2016-17 में ₹ 24,177 करोड़ से घटकर वर्ष 2018-19 में ₹ 2,694 करोड़ रह गई थी लेकिन यह वर्ष 2019-20 में बढ़कर ₹ 20,784 करोड़ तथा वर्ष 2020-21 में ₹ 26,661 करोड़ हो गई। तथापि, राज्य के लिए उपलब्ध निवल लोक ऋण वर्ष 2020-21 के दौरान लिये गये कुल लोक ऋण का 30.69 प्रतिशत था।

- वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान औसत ऋण सर्विसिंग व्यय ₹ 49,176.13 करोड़ था, जो इसी अवधि में औसत लोक ऋण प्राप्तियों (₹ 65,472.89 करोड़) का 75.11 प्रतिशत था, जिसका अर्थ है कि ऋण का एक बड़ा प्रतिशत ऋण भुगतान के लिए प्रयोग किया जा रहा था।

2.9.4.1 उधार ली गयी निधि का उपयोग

उधार लिये गये निधि का उपयोग आदर्श रूप से पूंजीगत निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। उधार ली गई धनराशि की स्थिति को तालिका 2.27 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.27 : उधार ली गई निधि का उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	लोक ऋण प्राप्तियाँ	67,685	47,417	51,595	73,809	86,859
2	पूर्व के ऋणों का पुनर्भुगतान (मूलधन) (लोक ऋण प्राप्तियों का प्रतिशत)	20,303 (30.00)	15,002 (31.64)	20,717 (40.15)	22,401 (30.35)	26,778 (30.83)
3	निवल पूंजीगत व्यय (लोक ऋण प्राप्तियों का प्रतिशत)	69,789 (103.11)	39,088 (82.43)	62,463 (121.06)	59,998 (81.29)	52,237 (60.14)
4	निवल संवितरित ऋण एवं अग्रिम (लोक ऋण प्राप्तियों का प्रतिशत)	6,482 (9.58)	1,274 (2.69)	990 (1.92)	(-3,521) (-4.77)	18 (0.02)
5	निवल उपलब्ध उधार से किये गये राजस्व व्यय का भाग क्र.सं. 5 = क्र.सं. (1-2-3-4) (लोक ऋण प्राप्तियों का प्रतिशत)	(-28,889) (-42.68)	(-7,947) (-16.76)	(-32,575) (-63.14)	(-5,069) (-6.87)	7,826 (9.01)

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.27 यह दर्शाती है कि 2016-17 से 2019-20 की अवधि में उधार (लोक ऋण) पूंजीगत लेखे के अन्तर्गत किये गये व्यय, अर्थात् लोक ऋण के पुनर्भुगतान, पूंजीगत व्यय एवं ऋण और अग्रिमों के संवितरण से कम था, जिसका तात्पर्य है कि 2016-17 से 2019-20 की अवधि में पूंजीगत लेखे पर व्यय के एक भाग की पूर्ति राज्य के राजस्व अधिशेष से की गयी। तथापि, वर्ष 2020-21 में राज्य ने अपने राजस्व व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए उधार ली गयी धनराशि से ₹ 7,826 करोड़ का उपयोग किया था, क्योंकि राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ इसके राजस्व व्यय के लिए पर्याप्त नहीं थी। उधार से प्राप्त निधियों से वर्तमान उपभोग तथा बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान किया जाना संवहनीय नहीं है।

2.9.5 प्रत्याभूतियों की स्थिति-आकस्मिक देयताएं

राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अन्य निकायों द्वारा निर्गत बाण्ड तथा लिये गये अन्य उधार के लिये प्रत्याभूति प्रदान करती है। प्रत्याभूतियाँ, उधारकर्ता जिनके लिए प्रत्याभूति दी गई थी, द्वारा चूक की स्थिति में, राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं।

वित्त लेखे का विवरण संख्या 9 तथा 20 राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण दर्शाता है। इस संकलन में विवरण सीधे राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों में दी गयी प्रत्याभूति और बकाया प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि तालिका 2.28 में दी गई है।

तालिका 2.28 : राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूति की स्थिति

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूति	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि	66,702.20	74,303.03	90,662.48	1,32,499.27	1,75,469.24
ब्याज सहित प्रत्याभूति की बकाया धनराशि	55,825.49	74,841.22	1,10,032.12	1,18,696.49	1,50,554.00

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

बकाया प्रत्याभूति वर्ष 2019-20 के ₹ 1,18,696.49 करोड़ से 26.84 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹ 1,50,554 करोड़ हो गयी और यह वर्ष के दौरान राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 2,96,176 करोड़) का 50.83 प्रतिशत और राज्य सरकार की जीएसडीपी का 8.83 प्रतिशत थी। 31 मार्च 2021 को बकाया प्रत्याभूति मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र की चार कंपनियों (₹ 1,16,312 करोड़), अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग (₹ 24,381 करोड़), चीनी उद्योग विभाग (₹ 3,356 करोड़) तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग (₹ 3,000 करोड़) से संबंधित थी।

बकाया प्रत्याभूतियों में उ0प्र0 सहकारिता ग्राम्य विकास बैंक लिमिटेड के लिए ₹ 474.17 करोड़ की प्रत्याभूति सम्मिलित थी, जो कि संस्था के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान निर्धारित प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि (₹ 45 करोड़) से अधिक थी। जैसा कि वित्त लेखे 2020-21 में उद्घाटित है, राज्य सरकार ने इस असंगति पर कोई कारण नहीं बताया। अग्रेतर, वर्ष 2020-21 के प्रारंभ में बकाया प्रत्याभूति तथा वर्ष 2019-20 के अंत में बकाया प्रत्याभूति में ₹ 4,274.33 करोड़ का अंतर था जो महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश तथा राज्य सरकार के मध्य समाधान की प्रक्रिया में था।

2.10 नकद अवशेष का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समझौते के अनुसार, राज्य सरकारों को बैंक के साथ न्यूनतम दैनिक नकद अवशेष बनाए रखना होता है। यदि किसी दिन अवशेष न्यूनतम सहमत धनराशि कम हो जाती है, तो समय-समय पर सामान्य आर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)/विशेष आर्थोपाय अग्रिम (एसडब्ल्यूएमए)/ओवरड्राफ्ट (ओडी) लेकर कमी को पूरा किया जाता है। राज्य सरकार के लिए सामान्य डब्ल्यूएमए की सीमा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर संशोधित की जाती है।

राज्य सरकार अपने अधिशेष नकद अवशेष को भारत सरकार की लघु और दीर्घकालिक प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों में निवेश करती है। ऐसे निवेशों से प्राप्त आय को शीर्ष '0049-ब्याज प्राप्तियां' के अन्तर्गत प्राप्तियों के रूप में जमा किया जाता है। नकद अवशेष को समेकित निक्षेप निधि एवं अन्य निर्धारित निधियों में भी निवेश किया जाता है।

यह वांछनीय नहीं है कि राज्य सरकार अधिक नकद अवशेष होने के बावजूद बाजार ऋण का सहारा ले क्योंकि इससे उत्पादक उपयोग में लाए बिना नकद अवशेष में और वृद्धि होती है।

वर्ष 2020-21 के दौरान नकद अवशेष तथा राज्य सरकार द्वारा नकद अवशेष में से किए गए निवेश को तालिका 2.29 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.29 : वर्ष 2020-21 के दौरान नकद अवशेष तथा उनका निवेश

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2020 को प्रारम्भिक अवशेष	31 मार्च 2021 को अन्तिम अवशेष
अ. सामान्य नकद अवशेष		
कोषागार में नकद	0.00	0.00
भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा	236.04	137.10
अन्य बैंकों के पास जमा	0.00	0.00
पारगमन में प्रेषण-स्थानीय	0.00	0.00
नकद अवशेष निवेश लेखा में किया गया निवेश	21,150.71	30,459.45
योग (अ)	21,386.75	30,596.55
ब. अन्य नकद अवशेष तथा निवेश		
विभागीय अधिकारियों यथा लोक निर्माण, वन अधिकारी के पास नकद	10.91	10.52
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	0.50	0.50
निर्धारित निधियों में निवेश	45.20	1,045.20
योग (ब)	56.61	1,056.22
योग (अ+ब)	21,443.36	31,652.77

स्रोत: वित्त लेखे 2020-21

वर्तमान वर्ष के अंत में राज्य सरकार की नकद अवशेष धनराशि ₹ 31,652.77 करोड़ थी। वर्ष 2019-20 के अंत में अवशेष की तुलना में इसमें ₹ 10,209.41 करोड़ (47.61 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2020-21 के दौरान नकद अवशेष निवेश लेखा में निवेश का प्रारंभिक अवशेष ₹ 21,150.71 करोड़ था। ₹ 4,64,321.11 करोड़ के ट्रेजरी बिल खरीदे गए और ₹ 4,55,012.37 करोड़ की धनराशि के ये इन्स्ट्रूमेंट बेचे गये, जिससे वर्ष के अंत में लेखे में ₹ 30,459.45 करोड़ की धनराशि अवशेष रही। ट्रेजरी बिलों और भारत सरकार की दीर्घकालिक प्रतिभूतियों में निवेश पर ब्याज के रूप में क्रमशः ₹ 235.75 करोड़ और ₹ 13.92 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई।

नकद अवशेष निवेश लेखे के अन्तर्गत ट्रेजरी बिलों में निवेश का राज्य सरकार का संव्यवहार वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 1,93,630 करोड़ से लगातार बढ़कर वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 5,44,061 करोड़ हो गया लेकिन वर्ष 2019-20 के दौरान यह घटकर ₹ 4,93,843 करोड़ तथा वर्ष 2020-21 में यह घटकर ₹ 4,64,321 करोड़ हो गया। नकद अवशेष निवेश लेखे के अनुरूप, नकद अधिशेष (सामान्य नकद अवशेष) अवधि 2016-17 से 2018-19 के दौरान ₹ 887.58 करोड़ (31 मार्च 2017) से बढ़कर ₹ 26,855 करोड़ (31 मार्च 2019) हो गया जो वर्ष 2019-20 (31 मार्च 2020) में घटकर ₹ 21,387 करोड़ हो गया और पुनः वर्ष 2020-21 (31 मार्च 2021) में बढ़कर ₹ 30,597 करोड़ हो गया। अवधि 2016-21 के दौरान नकद अवशेष निवेश लेखा तथा उस पर अर्जित ब्याज की स्थिति को तालिका 2.30 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.30 : नकद अवशेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष 8673)


(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक अवशेष	अंतिम अवशेष	वृद्धि(+)/कमी (-) (अन्तिम अवशेष-प्रारंभिक अवशेष)	उपाजित ब्याज
2016-17	1,196.44	2,168.23	971.79	578.36
2017-18	2,168.23	11,159.38	8,991.15	486.61
2018-19	11,159.38	26,684.36	15,524.98	1,088.56
2019-20	26,684.36	21,150.71	(-),5,533.65	596.15
2020-21	21,150.71	30,459.45	9,308.74	249.67

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2020-21 के दौरान नकद अवशेष तथा निवल नकद अवशेष निवेश के माहवार प्रवाह को चार्ट 2.17 में दर्शाया गया है।


चार्ट 2.17: वर्ष 2020-21 के दौरान नकद अवशेष तथा निवल नकद अवशेष निवेश का माहवार प्रवाह



स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (ले० एवं हक०) उत्तर प्रदेश द्वारा अनुरक्षित आंकड़े

राज्य सरकार द्वारा लिये गये बाजार ऋण तथा राज्य सरकार के पास उपलब्ध नकद अवशेष की स्थिति चार्ट 2.18 में प्रस्तुत की गयी है।

चार्ट 2.18: अवधि 2016-21 के दौरान नकद अवशेष के सापेक्ष बाजार ऋण



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

XIIIवें वित्त आयोग ने अत्यधिक नकदी अवशेष रखने वाली राज्य सरकारों द्वारा नए ऋण का सहारा लेने से पहले अपने मौजूदा नकद अवशेष का उपयोग करने की दिशा में प्रयास की अनुशंसा की थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस तथ्य को दोहराया था

कि अधिक नकद अवशेष आधिक्य का संचय राज्य सरकार के ऋण पर ब्याज लागत के भार को बढ़ाता है, यदि यह उधार के संसाधनों से निर्मित है³⁶।

2.10.1 नकद अवशेष में भिन्नता

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत अवशेष धनराशि की पुष्टि के प्रमाण पत्र के अनुसार, राज्य के पास ₹ 81.41 करोड़ का क्रेडिट अवशेष था जबकि माह 31 मार्च 2021 को राज्य का अंतिम नकद अवशेष, जैसा कि महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा प्रमाणित किया गया, ₹ 137.10 करोड़ था। इस प्रकार, राज्य सरकार के नकद अवशेषों, जैसा कि महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा गणना की गयी तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किया गया (31 मार्च 2021 को), में ₹ 55.69 करोड़ का अंतर था, जो समाधान की प्रक्रिया में था।

2.11 निष्कर्ष

सकारात्मक संकेतक

- राजकोषीय घाटा (₹ 54,622 करोड़) जीएसडीपी का 3.20 प्रतिशत था, जो कि यूपीएफआरबीएम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2020 द्वारा निर्धारित पाँच प्रतिशत के राजकोषीय लक्ष्य के अन्दर था।
- राजस्व व्यय के सापेक्ष प्रतिबद्ध व्यय वर्ष 2019-20 के 61.78 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2020-21 में 61.37 प्रतिशत रह गया।

संकेतक जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है

- राज्य में वर्ष 2006-07 से राजस्व अधिशेष था, तथापि, वर्ष 2020-21 में इसने ₹ 2,367 करोड़ का राजस्व घाटा दर्ज किया। वर्ष 2019-20 का ₹ 11,083 करोड़ का राजकोषीय अधिशेष वर्ष 2020-21 में ₹ 54,622 करोड़ के राजकोषीय घाटे में परिवर्तित हो गया।
- यूपीएफआरबीएम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020 में निर्धारित 32 प्रतिशत के लक्ष्य के सापेक्ष ऋण-जीएसडीपी अनुपात वर्ष 2019-20 के 29.77 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 32.77 प्रतिशत हो गया।
- राज्य का स्वयं का कर राजस्व वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में 2.38 प्रतिशत कम हो गया।
- राज्य की जीएसडीपी वृद्धि दर की तुलना में लोक ऋण पर उच्च ब्याज दर के कारण वर्ष 2020-21 में ऋण संवहनीयता घट गयी। राजस्व प्राप्तियों से लोक ऋण पर ब्याज भुगतान का प्रतिशत वर्ष 2019-20 के 8.36 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 11.28 प्रतिशत हो गया।
- वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार ने समेकित निक्षेप निधि में कम योगदान किया, जो इसके दिशानिर्देशों के अनुसार बकाया आंतरिक ऋण तथा लोक लेखा दायित्वों के कम से कम 0.50 प्रतिशत के योगदान के सापेक्ष 0.20 प्रतिशत था।
- राज्य सरकार द्वारा मूल्यहास आरक्षित निधि के लिए प्रभारित धनराशि को इस निधि में हस्तांतरित नहीं किया गया, इसके बजाय इसे राज्य की राजस्व प्राप्तियों के रूप में रखा गया। इस निधि में बिना अंशदान के संवितरण किये जाने के कारण वर्ष 2020-21 के अन्त में इसमें ₹ 17.20 करोड़ का ऋणात्मक अवशेष था।

³⁶ XIVवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन का प्रस्तर 4.40 एवं 4.41

- राज्य सरकार ने वर्ष 2020–21 के दौरान प्राप्त केन्द्रीय अंश के ₹ 966.50 करोड़ एसडीआरएफ को हस्तांतरित नहीं किया। राज्य सरकार ने निधि के गैर-निवेशित अवशेष धनराशि पर वर्ष 2020–21 के लिये ₹ 91.91 करोड़ का ब्याज जमा नहीं किया था। अग्रेतर, राज्य आपदा शमन निधि के लिए लेखांकन शीर्ष का परिचालन नहीं किया गया तथा पंद्रहवें वित्त आयोग एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की अनुसंशाओं के अनुरूप राज्य आपदा शमन निधि में अपेक्षित अंशदान का अंतरण नहीं किया गया।
- सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूति में से, उधार प्राप्तकर्ता एजेंसी द्वारा चूक की स्थिति में ऋण की सर्विसिंग के दायित्व की पूर्ति हेतु राज्य सरकार ने प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन नहीं किया।

2.12 संस्तुतियाँ

- राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि समेकित निक्षेप निधि में वार्षिक अंशदान विगत वर्ष के अन्त में बकाया देयताओं का कम से कम 0.50 प्रतिशत हो, जैसा कि समेकित निक्षेप निधि योजना में प्रावधानित है, जिससे कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अग्रेतर निवेश हेतु एवं भविष्य की अवशेष देयताओं के भुगतान हेतु निधि में पर्याप्त अवशेष उपलब्ध हो।
- कार्यों पर मूल्यहास आरक्षित निधि के लिए भारत धनराशि को राजस्व प्राप्ति के रूप में रखने के बजाय, राज्य सरकार को इसे निधि को हस्तांतरित करना चाहिए, क्योंकि निधि के लिए वर्तमान लेखांकन की व्यवस्था से राज्य की राजस्व प्राप्ति तथा राजस्व व्यय अधिक प्रदर्शित हो रहे हैं। अग्रेतर, राज्य सरकार को मूल्यहास आरक्षित निधि में ऋणात्मक अवशेष को तत्काल नियमित करना चाहिए।
- राज्य सरकार को एसडीआरएफ की अवशेष धनराशि को “ब्याज सहित आरक्षित निधियां” श्रेणी के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8121–सामान्य और अन्य आरक्षित निधियों में अन्तरित करना चाहिए और एसडीआरएफ दिशानिर्देशों के अनुसार उपार्जित ब्याज को निधि में जमा करना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा एसडीआरएफ दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निधि में अवशेष धनराशि का निवेश भी किया जाना वांछनीय है। राज्य सरकार को पंद्रहवें वित्त आयोग तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की अनुसंशाओं के अनुरूप राज्य आपदा शमन निधि का परिचालन भी करना चाहिए।
- राज्य सरकार को बारहवें वित्त आयोग के अनुसंशा के अनुसार प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन करना चाहिये।